



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-03022022-233102  
CG-GJ-E-03022022-233102

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 70]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 31 जनवरी, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन.रेग्यु.021.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42घ और 42ङ के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उद्देश्य:**

इन विनियमों का उद्देश्य किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमा वैब संकलनकर्ता के रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण के विनियमनकारी कार्यक्षेत्र में लाना है।

**3. परिभाषाएं-**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नीचे दिए गए हैं और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा -

(क) “अधिनियम” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) “करार” से किसी बीमा वैब संकलनकर्ता और किसी बीमाकर्ता के बीच कियी गया कोई करार अभिप्रेत है;

(ग) “आवेदक” से अभिप्रेत है -

(i) ऐसा कोई बीमा वैब संकलनकर्ता, जो आई.आर.डी.ए.आई. के पास रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) ऐसा बीमा ब्रोकर, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के अधीन प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) ऐसी कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) के अधीन निगमित है;

(iv) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008(2009 का 6) के अधीन गठित है;

(v) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो प्राधिकरण द्वारा बीमा वैब संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात है।

**स्पष्टीकरण:** ऐसा निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित है, इन विनियमों के अधीन आवेदन करने के लिए किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी का गठन कर सकता है।

(घ) “प्राधिकृत सत्यापनकर्ता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बीमा वैब संकलनकर्ता द्वारा टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग पद्धति के माध्यम से बीमे की याचना करने और उसे उपाप्त करने के लिए नियोजित है;

(ङ) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “अभिहित वैबसाइट” से रजिस्ट्रीकृत डोमेन नाम वाली ऐसी अनन्य वैबसाइट अभिप्रेत है, जो आई.डब्ल्यू.ए. के स्वामित्वाधीन है और उसके कृत्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है;

(छ) “दूरस्थ मार्केटिंग” से बीमा उत्पादों की याचना या विक्रय करने की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जहां उपभोक्ता याचना या विक्रय करने या विक्रय के पूरा होने के स्थान पर, शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है और वह प्रक्रिया टेलीफोन या लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.) या ईमेल या इंटरनेट या वैब सेवाओं के माध्यम से चलाई जाती है;

(ज) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “बीमा ऑउटसोर्सिंग” से अनुसूची-14 में विनिर्दिष्ट ऐसे क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जो बीमाकर्ताओं द्वारा किसी आई.डब्ल्यू.ए. को ऑउटसोर्स किए जा सकते हैं;

(झ) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “बीमाकर्ता” से आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आई.एफ.एस.सी. बीमा कार्यालय (आई.आई.ओ.) अभिप्रेत है;

(ज) “बीमा वैब संकलनकर्ता” या “आई.डब्ल्यू.ए.” से ऐसा बीमा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी भावी ग्राहक को आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा बनाई गई वैबसाइट या पोर्टल का उपयोग करके किसी बीमा पालिसी का क्रय करने में सहायता देने के लिए रजिस्ट्रीकृत है;

(ट) “आई.आर.डी.ए.आई.” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) “प्रमुख प्रबंधन कार्मिक” या “के.एम.पी.” से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य विपणन अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, प्रधान-तकनीकी, प्रधान-सूचना प्रौद्योगिकी या ऐसा अन्य कार्मिक, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;

(ड) “लीड” से ऐसे किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना अभिप्रेत है, जिसने किसी आई.डब्ल्यू.ए. की वैबसाइट का प्रयोग किया है और बीमा उत्पादों की कीमतों या विशेषताओं या फायदों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी किस्म की संपर्क जानकारी प्रस्तुत की है;

(ढ) “लीड तैयार करना” से भावी ग्राहकों से बीमा उत्पादों की याचना करने से पूर्व, बीमा पालिसी का क्रय करने संबंधी उनके आशय को अभिनिश्चित करने के लिए उनके ब्यौरों को संगृहीत करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ण) “लीड प्रबंधन पद्धति” या “एल.एम.एस.”, आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा, बीमा वैब संकलनकर्ता की वैबसाइट पर प्राप्त पृष्ठताछ से मिली लीड के अभिलेखन, फिल्टरिंग, विधिमान्यकरण, श्रेणीकरण, वितरण करने, अनुसरण करने और समाप्त करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले साफ्टवेयर के प्रति निर्देश करती है;

(त) “प्रधान अधिकारी” से अभिप्रेत है –

(i) किसी आई.डब्ल्यू.ए. का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) कोई ऐसा निदेशक/भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इन विनियमों का अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है; या

(iii) आई.डब्ल्यू.ए. का ऐसा कर्मचारी, जो आई.एफ.एस.सी. में ऐसे आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा उसके प्रबंधन, प्रशासन और प्रचालन के लिए किए गए विनिश्चयों के लिए उत्तरदायी है;

(थ) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ “याचना करना” से किसी बीमाकर्ता या किसी आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा, भावी ग्राहक को किसी बीमा पालिसी का क्रय करने के लिए राजी करने की दृष्टि से किसी भावी ग्राहक से संपर्क करना अभिप्रेत है;

(द) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “टेलीमार्केटर” से टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स कस्टमर प्रेफ्रेंस रेग्युलेशन्,, 2010 के अध्याय III के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या, यथास्थिति, किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं।

**अध्याय II**  
**आई.डब्ल्यू.ए. का रजिस्ट्रीकरण**

**4. आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता मानदंड**

प्राधिकरण, आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय उन सभी बातों को ध्यान में रखेगा जो आई.डब्ल्यू.ए. के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी है, किन्तु वे शर्तें यहीं तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्:-

- (1) आवेदक, उसके निदेशक, अभिहित भागीदार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, प्रधान अधिकारी या प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 42घ की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता से ग्रस्त नहीं है;
  - (2) कंपनी के संगम ज्ञापन, एल.एल.पी. के सीमित दायित्व भागीदारी करार या आवेदक के निगमन दस्तावेजों में, "बीमा उत्पादों के वैब संकलनकर्ता के कारबार" का उल्लेख उसके एक मुख्य उद्देश्य के रूप में होगा;
  - (3) आवेदक बीमा उत्पादों का वैब संकलनकर्ता या बीमा ब्रोकिंग से भिन्न किसी कारबार में लगा हुआ नहीं है;
  - (4) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता ने विहित प्रशिक्षण पूरा किया है और प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है;
  - (5) आई.डब्ल्यू.ए. ने अनुसूची-15 में यथा-विनिर्दिष्ट बाध्यताओं में से किसी बाध्यता का और अनुसूची-16 में यथा-विनिर्दिष्ट आचार-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है;
  - (6) आवेदक के पास अपने कारबार क्रियाकलापों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना, अर्थात्, पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर, प्रशिक्षित और समर्पित जनशक्ति और आई.टी. अवसंरचना है;
  - (7) आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संसक्त किसी व्यक्ति को इससे पूर्व प्राधिकरण द्वारा कोई प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इनकार किया गया है या आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संसक्त किसी व्यक्ति ने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा आवेदन वापस लिया है;
- स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संसक्त" अभिव्यक्ति से किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय की दशा में, आवेदक का कोई सहयुक्त, कोई सहायक कंपनी, कोई अंतर-संसक्त उपक्रम या कोई समूह कंपनी अभिप्रेत है। इन सभी पदों के वही अर्थ हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) में उनके हैं।
- (8) प्रधान अधिकारी/निदेशक/संप्रवर्तक/भागीदार/अभिहित भागीदार/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ नियंत्री शेयरधारक, प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं;
  - (9) आवेदक के संप्रवर्तक/निवेशक/भागीदार/अभिहित भागीदार/नियंत्री शेयरधारक –
    - (क) आवेदक में निवेश करने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति वाले हैं; और
    - (ख) किसी एफ.ए.टी.एफ. सम्मत अधिकार-क्षेत्र या देश से हैं;
  - (10) आवेदक ने इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत किया है कि –
    - (क) उसका किसी बीमाकर्ता के साथ कोई रैफरल ठहराव नहीं है;

(ख) उसका पालिसीधारकों के हितों और बीमा मध्यक्षेपन में लगी उसकी समूह इकाइयों के कारबार के बीच किसी किस्म का हित-संघर्ष नहीं है;

(ग) आई.डब्ल्यू.ए. कारबार चलाने के लिए उसकी एक अभिहित वैबसाइट है, जो भारत में आधारित किसी सर्वर पर होस्ट की गई है;

(घ) वह इन विनियमों के विनियम 8 में यथा-विनिर्दिष्ट पूंजी और शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं को प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में सदैव बनाए रखेगा;

(ङ) वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के चालू रहने के दौरान हर समय इन विनियमों के विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(च) वह प्रधान अधिकारी की, जो आई.डब्ल्यू.ए. के दिन-प्रतिदिन के कामकाज या संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और अन्य अर्हित कार्मिकों की, जिनके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हता और अनुभव है, नियुक्ति करेगा;

(छ) उसका प्रधान अधिकारी/निदेशक/संप्रवर्तक/अभिहित भागीदार/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/नियंत्री शेयरधारक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं।

(11) ऐसा आवेदक, जो आई.आर.डी.ए.आई. के पास बीमा वैब संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा कार्यालय स्थापित करने का इच्छुक है, निम्नलिखित अतिरिक्त अरेक्षाओं को पूरा करेगा:

(क) वह आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा जारी किया गया ऐसा विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, जिसे प्रत्याहृत, रद्द या निलंबित नहीं किया गया है; और

(ख) उसने आई.आर.डी.ए.आई. से आई.एफ.एस.सी. में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए “अनापत्ति प्रमाणपत्र” अभिप्राप्त कर लिया है।

(12) प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त पात्रता शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो वह उपयुक्त समझे।

## 5. आवेदन पर विचार करना –

(1) किसी आई.एफ.एस.सी. में आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में प्रचालन करने के लिए इच्छुक आवेदक, प्राधिकरण को ऐसी आवेदन फीस सहित, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे,।

(3) बीमा ऑउटसोर्सिंग या बीमा टेलीमार्केटिंग क्रियाकलाप करने की अनुज्ञा की ईप्सा करने वाला आवेदक आवेदन पत्र में इसका विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

(4) प्राधिकरण आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी और/या स्पष्टीकरण और/या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवेदन पर विचार करने या उसके प्रक्रमण के लिए आवश्यक समझे।

(5) आवेदक ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी और/या स्पष्टीकरण स्वतः तुरंत प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा जो उसके आवेदन पर विचार करने पर प्रभाव डाल सकती है।

## 6. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शर्तें –

आई.डब्ल्यू.ए. का रजिस्ट्रीकरण या प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा कि:-

- (1) आई.डब्ल्यू.ए. अनन्य रूप से उस कारबार का निर्वहन, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट रीति में करेगा;
- (2) आई.डब्ल्यू.ए., बीमा अधिनियम, 1938, आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019 के उपबंधों, लागू विधियों और प्राधिकरण द्वारा उनके अधीन समय-समय पर जारी किए गए किम्हीं अन्य अनुदेशों का अनुपालन करेगा;
- (3) आई.डब्ल्यू.ए., सुसंगत ग्राहक को पहचानिए (के.वाई.सी.) और धनशोधन रोधी(ए.एम.एल.) ऐसे दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं;
- (4) यदि प्राधिकरण को आवेदन के नवीकरण के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी या इससे पूर्व प्रस्तुत की गई किसी जानकारी की विशिष्टियां मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है या पहले प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई तात्विक परिवर्तन होता है तो आई.डब्ल्यू.ए. तुरंत प्राधिकरण को लिखित में सूचित करेगा;
- (5) आई.डब्ल्यू.ए., पालिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए, ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर पर्याप्त कदम उठाएगा और प्राधिकरण को ऐसे पालिसीधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, प्रकृति और अन्य विशिष्टियों के बारे में ऐसी प्ररूप और ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, सूचित करता रहेगा;
- (6) आई.डब्ल्यू.ए. अपने संसाधनों और उन प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं की संख्या के अनुरूप, जो वह नियोजित करता है, युक्तिसंगत बीमा पालिसियों की याचना और उनका उपापन करेगा;
- (7) आई.डब्ल्यू.ए. किसी भी परिस्थिति में बीमा कारबार की याचना करने और उसके उपापन के लिए बहु-स्तरीय मार्केटिंग नहीं करेगा;
- (8) आई.डब्ल्यू.ए. अनुसूची-16 में यथा-विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा;
- (9) आई.डब्ल्यू.ए. ऐसे अभिलेख और ऐसी लेखा बहियां रखेगा, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं;
- (10) आई.डब्ल्यू.ए., प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिलेख रखेगा, जिसमें पालिसी-वार और प्राधिकृत सत्यापनकर्ता-वार ब्यौरे दिए जाएंगे जिनमें आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा प्राधिकृत सत्यापनकर्ता के माध्यम से याचित प्रत्येक पालिसी को उस प्राधिकृत सत्यापनकर्ता को टैग किया गया हो। आई.डब्ल्यू.ए. ऐसी प्रणाली बनाए रखेगा जिसमें प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभिलेख और ब्यौरों तक नियमित पहुंच अनुज्ञात हो;
- (11) प्राधिकरण, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

## 7. प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया –

(1) प्राधिकरण, इस संबंध में समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक विनियम 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट पात्रता पूरी करता है, सर्वप्रथम आवेदक को अपेक्षाओं, अर्थात्, न्यूनतम पूंजी निवेश, प्रधान अधिकारी की प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं, वृत्तिक क्षतिपूर्ति पालिसी और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के बारे में, जो प्राधिकरण ऐसे सिद्धांततः अनुमोदन की तारीख से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक समझे, सिद्धांततः अनुमोदन जारी करेगा।

परन्तु यदि कोई आवेदक पैंतासील (45) दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में समर्थ नहीं होता है तो वह ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व किन्तु कम से कम सात(7) दिन पहले प्राधिकरण के अध्यक्ष को समय के विस्तारण के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण का अध्यक्ष, आवेदन प्राप्त होने पर, उसकी परीक्षा करेगा और उस पर लिए गए

विनिश्चय को लिखित में संसूचित करेगा;

परन्तु यह भी कि प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसे सिद्धांततः अनुमोदन की तारीख से नब्बे (90) दिन से परे कोई समय-विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के अधीन अनुपालन के संबंध में और अधिनियम, लागू नियमों, विनियमों के उपबंधों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित अनुपालन के संबंध में समाधान हो जाने पर, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस प्रवर्ग का कथन करते हुए, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन (3) वर्ष के लिए तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिसंहत या रद्द नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए पहली बार प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अवसान तक और इसके पश्चात् आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण के अवसान से सहावसानी अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा।

(4) यदि आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण की यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है तो वह आवेदक को कमियां संसूचित करेगा और उनमें सुधार करने के लिए तीस (30) दिन का समय देगा।

(5) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कमियों में, प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकेगा और आवेदक को ऐसी इनकारी के लिए लिखित कारण देते हुए संसूचित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा, आवेदक को उन आधारों के बारे में, जिस पर रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाना प्रस्थापित है, लिखित निवेदन करने का अवसर दिए बिना, ऐसी कोई इनकारी नहीं की जाएगी।

(6) आई.डब्ल्यू.ए., प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से छह(6) मास के भीतर वह कारबार आरंभ करेगा, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

परन्तु यदि कोई आई.डब्ल्यू.ए. छह(6) मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारबार आरंभ करने में समर्थ नहीं है तो वह ऐसी अवधि के समाप्त होने से पूर्व किन्तु कम से कम तीस (30) दिन पहले प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास समय-विस्तारण के लिए एक आवेदन करेगा।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण का अध्यक्ष, आवेदन प्राप्त होने पर, उसकी परीक्षा करेगा और उस पर लिए गए विनिश्चय को लिखित में संसूचित करेगा;

परन्तु यह भी कि प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से नौ (9) मास से परे कोई समय-विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

## 8. पूंजीगत/शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षा -

(1) आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला आवेदक, न्यूनतम 30,000 अमरीकी डॉलर (केवल तीस हजार अमरीकी डॉलर) की यथास्थिति, समादत्त शेयर पूंजी या अंशदान तथा न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी/अंशदान के 100 प्रतिशत के बराबर शुद्ध संपत्ति बनाए रखेगा:

परन्तु ऐसा कोई आवेदक, जो कोई शाखा स्थापित करने का इच्छुक है, 3000 अमरीकी डॉलर (केवल तीन हजार अमरीकी डॉलर) की पूंजी बनाए रखेगा, जो कि नियत की जाएगी और आवेदक द्वारा उसके निगमन के देश में धारण की जाएगी और उसके देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार उसका निवेश किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि आवेदक कंपनी से भिन्न किसी रूप में है तो समादत्त पूंजी ऐसे रूप और रीति में रखी जाएगी जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) यदि आवेदक शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है, तो पूंजी समादत्त साधारण शेयरों के रूप में होगी;

(3) संप्रवर्तकों/शेयरधारकों/भागीदारों द्वारा आवेदक में निवेश उनके स्वामित्वाधीन निधियों में से किया जाएगा और उप-विनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी या अंशदान हर समय सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा;

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, स्वामित्वाधीन निधियों के अंतर्गत ऐसे उधारों या ऋणों या किन्हीं अन्य ठहरावों द्वारा जुटाई गई निधियां नहीं आती हैं, जो भविष्य में कोई ऋण गठित कर सकेंगे।

(4) शुद्ध संपत्ति में कमी की दशा में, आई.डब्ल्यू.ए. उसे तुरंत पुनःस्थापित करेगा और उसके अनुपालन की रिपोर्ट देगा;

परन्तु जहां आई.डब्ल्यू.ए. कंपनी से भिन्न किसी रूप में है वहां “शुद्ध संपत्ति” वहीं होगी जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

**स्पष्टीकरण:** इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, “शुद्ध संपत्ति” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उसका है।

(5) आई.डब्ल्यू.ए. अपने कानूनी लेखापरीक्षक या व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या व्यवसायरत कंपनी सचिव या व्यवसायरत लागत और प्रबंध लेखाकार द्वारा इन विनियमों के अधीन समादत्त पूंजी और शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में जारी किया गया एक प्रमाणपत्र छमाही आधार पर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

### अध्याय III

#### आई.डब्ल्यू.ए. के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण

#### 9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण –

(1) आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन, प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस सहित अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अवसान से कम से कम नब्बे (90) दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। नवीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की निर्देशक सूची अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट है;

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास उस तारीख से, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं रहता है, तीस(30) दिन पूर्व नहीं पहुंचता है किन्तु उस तारीख से पूर्व, जिसको ऐसा प्रमाणपत्र प्रवर्तन में नहीं रहता है, पहुंचता है तो आई.डब्ल्यू.ए. शास्ति के रूप में लागू अतिरिक्त फीस का संदाय करेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा यदि आवेदन उस तारीख से, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त नहीं रहता है, साठ(60) दिन की अवधि के भीतर, शास्ति के रूप में लागू अतिरिक्त फीस सहित फाइल किया जाता है और प्राधिकरण विलंब के कारणों से संतुष्ट है और उसने उसे माफ कर दिया है।

परन्तु यह भी कि उस तारीख से, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त नहीं रहता है, साठ(60) दिन के पश्चात् प्राप्त नवीकरण आवेदन पर ऐसा नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से बारह(12) मास व्यतीत होने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा। तथापि, अंतर्काल के दौरान, आई.डब्ल्यू.ए. को इससे पूर्व प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा और वह विद्यमान पालिसियों को संविदा की समाप्ति तक सेवा प्रदान करने के सिवाय किसी नए कारबार की याचना नहीं करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए यथा-लागू विनियम 6, विनियम 7 और विनियम 8 के उपबंध किसी आई.डब्ल्यू.ए. के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन को भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।



(3) ऐसा आई.डब्ल्यू.ए., जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है और नवीकरण के लिए लंबित है, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण तक विद्यमान पालिसियों को सेवा प्रदान करने के सिवाय किसी नए बीमा कारबार में संलग्न नहीं होगा।

(4) किसी आई.डब्ल्यू.ए. का प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापनकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की ईप्सा करने से पूर्व ऐसा अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा करेगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(5) प्राधिकरण, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में तीन(3) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी करेगा।

(6) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द या अभ्यर्पित कर दिया जाता है या जिसका नवीकरण प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है, तो आवेदक उस तारीख से जब नवीकरण का ऐसा रद्दकरण/अभ्यर्पण/इनकारी प्रभावी हुई है, एक(1) वर्ष के पश्चात् ही रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन फाइल कर सकेगा।

#### 10. जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण प्रदान नहीं किया जाता है, वहां प्रक्रिया –

(1) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण की यह राय है कि आवेदक को इससे पूर्व प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण नहीं किया जाना चाहिए तो वह आवेदक को कमियां संसूचित करेगा और उनमें सुधार करने के लिए तीस (30) दिन का समय देगा।

(2) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में ऐसी कमियों में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को नवीकृत करने से इनकार कर सकेगा और आवेदक को ऐसी इनकारी के लिए लिखित में कारण देते हुए संसूचित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा, आवेदक को उन आधारों के बारे में, जिस पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन से इनकार किया जाना प्रस्थापित है, लिखित निवेदन करने का अवसर दिए बिना, ऐसी कोई इनकारी नहीं की जाएगी।

#### 11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से इनकार करने का प्रभाव –

(1) ऐसा आवेदक, जिसका नवीकरण करने से प्राधिकरण द्वारा इनकार कर दिया गया है, प्राधिकरण से प्राप्त संसूचना में उल्लिखित प्रभावी तारीख से आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में कार्य करना बन्द कर देगा।

(2) ऐसा आई.डब्ल्यू.ए., जिसका नवीकरण करने से प्राधिकरण द्वारा इनकार कर दिया गया है, उसके माध्यम से पहले की गई संविदाओं की बाबत सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

परन्तु ऐसी सेवाएं विद्यमान संविदाओं के अवसान की अवधि तक या इनकार किए जाने की तारीख से छह(6) मास की अधिकतम अवधि के लिए ही, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, जारी रहेंगी, जिस समय के भीतर आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा उन संविदाओं को उसी प्रवर्ग के किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा सेवा प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त ठहराव कर दिए जाएंगे।

(3) प्राधिकरण, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे ठहरावों के ब्यौरे की ईप्सा कर सकेगा।

### अध्याय IV

#### कारपोरेट प्रशासन, प्रचालन और प्रबंध

#### 12. कारबार का सम्मेलन और अंतरण -

कोई भी आई.डब्ल्यू.ए. प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, चाहे पूर्णतः या भागतः कारबार के सम्मेलन, विलयन, अर्जन या अंतरण की कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं करेगा।

### 13. स्वामित्व और नियंत्रण में परिवर्तन –

आई.डब्ल्यू.ए. में संप्रवर्तकों/भागीदारों/अभिहित भागीदारों/नियंत्री शेयरधारकों के स्वामित्व और नियंत्रण में परिवर्तन ऐसी रीति में और ऐसे रूप में किया जाएगा, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

### 14. बीमा उत्पादों की याचना के लिए नीति –

(क) प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. बीमा उत्पादों की याचना करने की रीति के संबंध में एक नीति बनाएगा जिसे उसके बोर्ड या समतुल्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ख) ऐसी अनुमोदित पालिसी में, अन्य बातों के साथ-साथ, आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा विभिन्न कारबार खंडों के संबंध में बहुविध संपर्क रखने, उत्पादों के मिलान और वितरण में अनुसरण की जाने वाली पद्धति, विक्रय किए गए उत्पादों के प्रकार, याचना की पद्धति, शिकायत निवारण प्रणाली, रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं और कोई अन्य अपेक्षा होगी तथा उसका उसके बोर्ड या उसके समतुल्य निकाय द्वारा कम से कम तीन (3) वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाएगा।

### 15. वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा –

प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. अनुसूची-7 में यथा-विनिर्दिष्ट रीति में वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा कवर का क्रय करेगा और उसे हर समय बनाए रखेगा।

### 16. उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ ठहराव –

(1) कोई आई.डब्ल्यू.ए. बीमाकर्ताओं के साथ ऐसा कोई ठहराव नहीं करेगा जो भावी ग्राहकों और पालिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल है;

(2) आई.डब्ल्यू.ए. और बीमाकर्ताओं के बीच उत्पादों के वितरण के लिए ठहराव ऐसे होंगे जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे;

### 17. हित-संघर्ष –

आई.डब्ल्यू.ए., बीमा कारबार की याचना करने और उसे उपाप्त करते हुए हर समय हित-संघर्ष से बचेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) यदि उसका किसी विशिष्ट कारबार श्रृंखला में एक से अधिक बीमाकर्ता के साथ टाइ-अप है तो वह भावी ग्राहकों को उन बीमाकर्ताओं की सूची प्रदर्शित करेगा, जिनके साथ उसने उत्पादों के वितरण के लिए ठहराव किए हैं और उन्हें ऐसे व्यौर, जैसे कवरेज की व्याप्ति, पालिसी की अवधि, संदेय प्रीमियम, प्रीमियम की अवधि और उसके पास उपलब्ध सभी उत्पादों की कोई अन्य जानकारी उपलब्ध करेगा और वह सभी मामलों में हित-संघर्ष से दूर रहेगा;

(ख) उसने जिस उत्पाद का विक्रय करने की प्रस्थापना की है वह भावी ग्राहक की आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित है।

### 18. लेखा-बहियां, अभिलेख, आदि रखना –

(1) आई.डब्ल्यू.ए. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार करेगा और बनाए रखेगा –

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक तुलन-वत्र;

(ख) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा, जो कि प्रोद्भवन आधार पर रखा जाएगा; और

(ग) नकदी/निधि प्रवाह (प्रत्यक्ष पद्धति) की विवरणी।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने

वाली बारह (12) मास की अवधि के प्रति निर्देश करेगा।

(2) वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत, उसके द्वारा प्राप्त की गई सभी आय के बीमाकर्ता-वार (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता की समूह कंपनियां भी हैं) ब्यौरे और उसके द्वारा अपनी समूह कंपनियों, सहयुक्तों और संबद्ध पक्षकारों से प्राप्त संदायों के ब्यौरे देने वाला एक टिप्पण भी है।

(3) आई.डब्ल्यू.ए. अपने लेखापरीक्षित लेखाओं और तुलन-पत्र में संबद्ध पक्षकार के सभी सव्यवहारों का प्रकटन करेगा और ऐसे सभी वित्तीय संव्यवहारों के लिए निष्पक्ष सिद्धांत सुनिश्चित करेगा।

(4) आई.डब्ल्यू.ए. प्राधिकरण को उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों की एक प्रति उनके संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कारबार के संचालन, लेखाओं की विवरणियों आदि के संबंध में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां या प्रेक्षण, यदि कोई हैं, और आई.डब्ल्यू.ए. की ओर से लेखापरीक्षक के प्रेक्षणों/टिप्पणियों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट हों, वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के तीस(30) दिन के भीतर या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करेगा।

(5) आई.डब्ल्यू.ए., लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे(90) दिन के भीतर, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों में, यदि कोई हैं, सुधार करने के कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(6) आई.डब्ल्यू.ए. ऐसी विवरणियां, रिपोर्टें, प्रमाणपत्र, जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा, जैसी कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर वांछा की जाए।

(7) इन विनियमों में निर्दिष्ट समस्त लेखा-बहियां, दस्तावेज़, विवरणियां, संविदा टिप्पण आदि किसी आई.एफ.एस.सी. में, आई.डब्ल्यू.ए. के कार्यालय में रखे जाएंगे और वे उस वर्ष की समाप्ति से, जिससे वे संबंधित हैं, कम से कम दस(10) वर्ष की अवधि के लिए प्रतिधारित किए जाएंगे और प्राधिकरण को हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएं जाएंगे।

परन्तु ऐसे मामलों से संबंधित लेखा-बहियों, दस्तावेज़ों, विवरणियों, संविदा टिप्पणों आदि को, जहां दावों के बारे में रिपोर्ट की गई है और मामला न्यायालय के विचाराधान है, मामलों का निपटारा होने तक बनाए रखा जाएगा।

परन्तु यह भी कि जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इससे अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसी सभी लेखा-बहियां, दस्तावेज़, विवरणियां, संविदा टिप्पण, आदि गैर-संपादनीय इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति रूप में रखी जा सकेंगी।

(8) प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. बीमाकर्ता-वार निम्नलिखित अभिलेख रखेगा –

(क) तैयार की गई, पारेषित, पालिसियों में संपरिवर्तित लीड और उनसे प्राप्त पारिश्रमिक;

(ख) वैबसाइट पर तुलना के लिए प्रदर्शित उत्पाद;

(ग) प्रदर्शित उत्पादों के लिए प्राप्त पारिश्रमिक;

(घ) बीमा ऑउटसोर्सिंग क्रियाकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक;

(ङ) प्राप्त कोई अन्य पारिश्रमिक (ब्यौरों का उल्लेख करें);

(च) ग्राहक का 'अपने ग्राहक को पहचानिए'(के.वाई.सी.) अभिलेख, जैसा धनशोधन निवारण से संबंधित सुसंगत दिशानिर्देशों के अधीन अपेक्षित है;

(छ) ग्राहक द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए गए प्रस्थापना-पत्र की प्रति;

(ज) ऐसा दस्तावेज़, जिसमें ग्राहकों की सूची, पालिसी के ब्यौरे, अर्थात्, पालिसी का प्रकार, प्रीमियम रकम, जारी

करने की तारीख, प्राप्त प्रभार या फीस अंतर्विष्ट हो;

- (झ) ऐसा दस्तावेज़, जिसमें प्राप्त की गई और निपटाई गई शिकायतों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत की प्रकृति, जारी की गई/याचित पालिसी के ब्यौरे और उस पर की गई कार्रवाई भी है;
- (ञ) प्राधिकरण के साथ हुआ पत्र-व्यवहार;
- (ट) ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़ या जानकारी, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

### अध्याय V

#### आई.डब्ल्यू.ए. के कृत्य

#### 19. आई.डब्ल्यू.ए. की वैबसाइट पर उत्पाद की तुलना का प्रदर्शन –

आई.डब्ल्यू.ए. अपनी वैबसाइट पर उत्पाद का प्रदर्शन ऐसी रीति में करेगा, जैसा अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट है।

#### 20. बीमाकर्ताओं को लीड का पारेषण –

आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा बीमाकर्ताओं के साथ लीड को साझा करने की रीति ऐसी होगी, जैसी अनुसूची-12 में विनिर्दिष्ट है।

#### 21. बीमे का ऑनलाइन विक्रय –

बीमे के ऑनलाइन विक्रय की रीति और प्रक्रिया उन दिशानिर्देशों के अनुपालन में होगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

#### 22. बीमे का टेलीमार्केटिंग या अन्य दूरस्थ मार्केटिंग पद्धतियों द्वारा विक्रय –

आई.डब्ल्यू.ए. अपनी वैबसाइट से तैयार की गई लीड के आधार पर बीमे की याचना करने के लिए टेलीमार्केटिंग/दूरस्थ मार्केटिंग पद्धतियों का प्रयोग उन अनुदेशों के अनुसार कर सकेगा, जो अनुसूची-13 में विनिर्दिष्ट हैं।

### अध्याय VI

#### पारिश्रमिक

#### 23. आई.डब्ल्यू.ए. को पारिश्रमिक –

(1) किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी आई.डब्ल्यू.ए. को संदेय कोई पारिश्रमिक, इनाम या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, ऐसी पद्धति और रीति में होगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) कोई बीमाकर्ता किसी आई.डब्ल्यू.ए. को पारिश्रमिक, इनाम या फीस का संदाय निम्नलिखित के अनुसार करेगा –

- (क) आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा बीमाकर्ता को लीड के पारेषण के लिए कोई प्रभार संदत्त नहीं किया जाएगा;
- (ख) उन लीडों से, जो बीमा पालिसियों के विक्रय में संपरिवर्तित हो जाती हैं, आई.डब्ल्यू.ए. प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक उपार्जित करने का हकदार होगा;
- (ग) आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा अपनी वैबसाइट पर तुलनात्मक चार्ट में प्रदर्शित प्रत्येक उत्पाद मद्धे प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट किसी समग्र अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, पारस्परिक रूप से सहमत एकसमान फीस;
- (घ) बीमे के ऑउटसोर्सिंग कृत्य करने के लिए सेवा ठहरावों में नियत पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर सेवा प्रभार;

## अध्याय VII

### आई.डब्ल्यू.ए. के कारबार का संचालन

#### 24. आई.डब्ल्यू.ए. के कारबार का संचालन –

(1) प्रचालन की परिधि:

(क) आई.डब्ल्यू.ए., किसी बीमाकर्ता की ओर से किसी आई.एफ.एस.सी., भारत में अन्य एस.ई.ज़ैड में या भारत के बाहर भारतीय प्रवास में भावी ग्राहकों के लिए सीधे बीमा कारबार की याचना कर सकेगा;

(ख) आई.डब्ल्यू.ए., किसी बीमाकर्ता की ओर से, बीमा अधिनियम की धारा 2गख के अनुसार ही भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) से सीधे बीमा कारबार की याचना करेगा अन्यथा नहीं ;

(ग) आई.डब्ल्यू.ए., भारत के बाहर भारतीय प्रवासियों से बीमा कारबार की याचना करने और उसके उपापन के समय उन विधियों का अनुपालन करेगा जो ऐसे अधिकार-क्षेत्र में आई.डब्ल्यू.ए. को लागू होती हैं;

(घ) आई.डब्ल्यू.ए. के समस्त वित्तीय संव्यवहार निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किए जाएंगे।

(2) आई.डब्ल्यू.ए. कारबार का संचालन उचित और युक्तियुक्त रीति में करेगा और निम्नलिखित का पालन करेगा –

(क) अनुसूची-15 में यथा-विनिर्दिष्ट आई.डब्ल्यू.ए. की बाध्यताएं; और

(ख) अनुसूची-16 में यथा-विनिर्दिष्ट आई.डब्ल्यू.ए. की आचार-संहिता।

(3) आई.डब्ल्यू.ए., अपने प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापनकर्ता और अन्य कर्मचारियों के सभी कार्यों और लोपों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके अंतर्गत इसमें विनिर्दिष्ट आचार-संहिता का उल्लंघन भी है तथा समुचित कार्रवाई के लिए, जिसके अंतर्गत धनीय शास्ति का अधिरोपण भी है, दायी होगा।

(4) आई.डब्ल्यू.ए., अनुसूची-10 में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(5) आई.डब्ल्यू.ए., प्राधिकरण को अनुसूची-8 में यथा-विनिर्दिष्ट प्रकटन करेगा।

## अध्याय VIII

### प्रकीर्ण

#### 25. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व –

प्राधिकृत सत्यापनकर्ता ऐसी भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, जो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 26. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई –

यदि प्राधिकरण की, किसी निरीक्षण या अन्वेषण के अनुसरण में या अन्यथा यह राय है कि किसी आई.डब्ल्यू.ए. का प्रचालन अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है या उसके क्रियाकलाप अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में बीमा कारबार के हितों में नहीं हैं तो प्राधिकरण उसके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जिसके अंतर्गत आई.डब्ल्यू.ए. को अपने लिखित निवेदन करने का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण भी है किन्तु वह कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है।

**27. स्पष्टीकरण जारी करने और छूट देने की शक्तियां –**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो प्राधिकरण का अध्यक्ष उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और इन विनियमों में उल्लिखित किसी भी शर्त में छूट दे सकेगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./624/2021-22]

**अनुसूची -1**  
**(विनियम 5(1) देखिए)**

**प्ररूप-क**

आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप को भरने के लिए अनुदेश:

(1) आवेदक को सम्यक् रूप से संपूरित आवेदन-पत्र समर्थनकारी दस्तावेजों सहित प्राधिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) वह जानकारी, जिसे अधिक विस्तार से प्रदत्त करना आवश्यक है, पृथक् शीट में दी जा सकती है, जिसे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

**1. आवेदक की विशिष्टियां**

1.1 आवेदक का नाम -----

1.2 पता – कारबार का प्रमुख स्थान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

पिन/ज़िप कोड	इमेल
टेलीफोन नं.	फैक्स नं.

1.3 पत्र-व्यवहार के लिए पता

पिन/ज़िप कोड	इमेल
टेलीफोन नं.	फैक्स नं.

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम (जब भी कोई परिवर्तन हो तो अद्यतन किया जाए)

--	--

**2. संगठन – ढांचा****2.1 आवेदक की प्रास्थिति**

(उदाहरणार्थ सीमित कंपनी – प्राइवेट पब्लिक, एल.एल.पी., अन्य। यदि सूचीबद्ध है तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम और अद्यतन शेयर कीमत दी जाए)

कंपनी का नाम	प्रास्थिति	निगमन की तारीख ता-मा-वर्ष	निगमन का स्थान	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां सूचीबद्ध है

**2.2 संगम ज्ञापन या समतुल्य दस्तावेज़ में यथा-वर्णित कारबार की परिधि**  
(ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति के साथ दिया जाए)।

2.3 ----- को 5 प्रतिशत या उसके अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के व्यौरे (प्रत्यक्षतः या सहयुक्त के साथ मिलकर) –

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल समादत्त पूंजी की प्रतिशतता

2.4 सभी निदेशकों/अभिहित भागीदारों की विशिष्टियां (एल.एल.पी. की दशा में) –

नाम	पदनाम/प्रास्थिति	अर्हता	आवेदक कंपनी में शेयरों की प्रतिशतता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	डी.आई.एन. नं.	पैन/आधार नं.

2.5 सहयुक्त कंपनियों/समुत्थानों के नाम और क्रियाकलाप

कंपनी/समुत्थान का नाम	पता	किए जा रहे क्रियाकलाप का प्रकार	संप्रवर्तक/निदेशक के हित की प्रकृति	आवेदक कंपनी की प्रकृति और हित

क्या सहयुक्त कंपनियों/समुत्थान के एक या अधिक व्यक्ति आवेदक के कारबार में हितबद्ध हैं

2.6 आवेदक के प्रमुख बैंकर का नाम और पता

2.7 कानूनी लेखापरीक्षकों का नाम और पता

**3. कारबार संबंधी जानकारी**

3.1 इस आवेदन के साथ क्रियाकलापों की प्रस्तावित मात्रा और उस आय सहित, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, तीन वर्षीय कारबार योजना दस्तावेज़ संलग्न किया जाना है।

3.2 संगठनात्मक चार्ट, जिसमें कृत्यात्मक उत्तरदायित्वों को पृथक्-पृथक् दर्शाया गया हो, संलग्न किया जाना है।

3.3 के. एम. पी. की विशिष्टियां

नाम	पदनाम/ प्रास्थिति	अर्हता	बीमे से संबंधित अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कृत्य संबंधी क्षेत्र	पैन/आधार नं. या अन्य समतुल्य दस्तावेज़

3.4 आई.डब्ल्यू.ए. के कारबार के लिए प्रस्तावित/प्रयुक्त बैंकसाइटों की विशिष्टियां (डोमेन नाम की रजिस्ट्रीकरण का सबूत संलग्न किया जाए)

क्रम सं.	वैबसाइट(डोमेन नाम) पता	प्राथमिक/द्वितीयक/विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	वैब सर्वर होस्ट करने का स्थान	वैबसाइट को होस्ट करने वाले विक्रेता का नाम और पता

3.5 ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति से सुसंगत समझी जाए।

#### 4. वित्तीय जानकारी पूंजीगत ढांचा

क्रम सं.	पूंजी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष
		वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें
1	प्राधिकृत पूंजी(क)			
2	निर्गमित पूंजी (ख)			
3	समादत्त पूंजी (ग)			
4	मुक्त आरक्षितियां(पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर(घ)			
5	कुल (ग/घ)			
6	शुद्ध संपत्ति			

क्रम सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष
		वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें
		लाख रुपयों में	लाख रुपयों में	लाख रुपयों में
1	नियत आस्तियां			
2	संयंत्र और मशीनरी			
3	कार्यालय उपस्कर			
4	कोटेड निवेश			
5	अनकोटेड निवेश			
6	तरल आस्तियों के ब्यौरे			
7	अन्य			

टिप्पण—कृपया तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। यदि अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के पश्चात् न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा पूरी नहीं की गई है तो किसी पश्चात्वर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

#### 5. अन्य जानकारी

5.1 सभी निपटाए गए और लंबित विवादों के ब्यौरे (पृथक् शीट संलग्न करें और नीचे दर्शाएं गए प्ररूप में समस्त जानकारी दें)



विवाद की प्रकृति	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटारा गया

यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें

5.2 आवेदक या किसी निदेशक, मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक या प्रधान अधिकारी या प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए किसी आर्थिक अपराध, यदि कोई है, के ब्यौरे

आवेदक की ओर से

आवेदक की ओर से

-----  
(प्राधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर और नाम

-----  
(प्राधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर और नाम

स्थान:

तारीख:

### बीमा टेलीमार्केटिंग/बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन

1.1 आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

1.2 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं.: \_\_\_\_\_

1.3 विधिमान्यता अवधि: \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक

1.4 ट्राई रजिस्ट्रीकरण सं.: \_\_\_\_\_

1.5 विधिमान्यता अवधि: \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक

1.6 प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं की सूची:

नाम	अर्हता	प्रयोजित करने वाली इकाई	प्रमाणपत्र सं.	कब तक विधिमान्य	पैन/आधार नं.

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चार्ट संलग्न करें।

1.7 ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक आवेदन के प्रक्रमण के लिए आवश्यक समझे।

### घोषणा

इस घोषणा पर दो निदेशकों/अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

मैं/हम एतद्वारा बीमा टेलीमार्केटिंग/बीमे से संबंधित बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य आरंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह कथन करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों के ईमानदारी से और पूर्णतः उत्तर दिए हैं और ऐसी सभी

जानकारी प्रदान की है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त रूप से सुसंगत समझी जा सकती है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में प्रदत्त जानकारी पूर्ण और सही है।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/दिते हैं कि मैं/हम, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा उपार्जित संपूर्ण या आंशिक पारिश्रमिक की कोई रिबेट किसी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुज्ञात नहीं करूंगा/करेंगे या अनुज्ञात करने की प्रस्थापना नहीं करूंगा/करेंगे।

आवेदक की ओर से

आवेदक की ओर से

-----

-----

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर और नाम

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर और नाम

स्थान:

तारीख:

## अनुसूची -2

[विनियम 5(2) देखिए]

**आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़**

1. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद या एल.एल.पी. करार की प्रतियां।
3. कंपनी/एल.एल.पी. के पैन कार्ड की प्रति
4. निदेशकों/एल.एल.पी. के अभिहित भागीदारों के शैक्षिक अभिलेख और कार्य-अनुभव, अर्हता प्रमाणपत्रों की प्रतियों सहित।
5. प्रधान अधिकारी और के.एम.पी. का शैक्षिक अभिलेख और कार्य-अनुभव, अर्हता प्रमाणपत्रों की प्रतियों सहित।
6. दो निदेशकों या एल.एल.पी. के अभिहित भागीदारों द्वारा यह प्रतिज्ञान करते हुए निष्पादित सम्यक् रूप से नोटरीकृत घोषणाएं कि:

(क) कंपनी के निदेशक या एल.एल.पी. के अभिहित भागीदार, प्रधान अधिकारी और के.एम.पी. वयस्क हैं और उन्हें सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त नहीं पाया गया है और पिछले पांच वर्षों में सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास-भंग या धोखा-धड़ी या कपट या ऐसा कोई अपराध कारित करने का प्रयत्न करने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं पाया गया है। आवेदक/निदेशक/अभिहित भागीदार, प्रधान अधिकारी और के.एम.पी. पिछले तीन वर्षों में किसी आर्थिक अपराध में अर्तवलिप्त नहीं रहे हैं।

(ख) कोई भी निदेशक/के.एम.पी./प्रधान अधिकारी या अभिहित भागीदार/कंपनी का कर्मचारी बीमे से संबंधित किसी अन्य इकाई में निदेशक का पद धारण नहीं किए हुए हैं या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

7. प्रस्तावित वेबसाइट के डोमेन नाम के रजिस्ट्रीकरण के सबूत सहित उसकी अंतर्वस्तुओं के स्लैप शाट।

8. वेबसाइट होस्ट करने के स्थान की पुष्टि, जैसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रचालन कार्यालय।

9. उन व्यक्तियों की सूची, जिनका बीमा वैब संकलन के संबंध में वैबसाइट की अंतर्वस्तुओं पर नियंत्रण है या उनके लिए उत्तरदायी हैं।
  10. आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को कंपनी की शुद्ध संपत्ति और शेयरधारिता के पैटर्न के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र।
  11. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतियां।
  12. अवसंरचना के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उपलब्ध आई.टी. अवसंरचना भी है।
  13. प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं के प्रशिक्षण और परीक्षा प्रमाणपत्र।
  14. प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित मानदंडों से संबंधित प्रधान अधिकारी/संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के ब्यौरे और घोषणाएं।
  15. आई.एफ.एस.सी.ए. या उसके प्रतिनिधि द्वारा संकलन वैबसाइट(वैबसाइटों)/पोर्टल/एल. एम. एस. का सत्यापन करने के लिए एक बन्द लिफाफे में एक यूजर आई.डी. और अस्थायी पासवर्ड (केवल देखने की अनुज्ञा सहित)।
  16. प्राधिकरण द्वारा ईप्सित कोई अन्य दस्तावेज़ या जानकारी।
- टिप्पण:** दस्तावेज़ों की सभी प्रतियां प्रधान अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए।

**प्ररूप-ख**

किसी विद्यमान आई.डब्ल्यू.ए. या बीमा ब्रोकर द्वारा शाखा के रूप में किसी आई.डब्ल्यू.ए. की स्थापना करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की ईप्सा करने हेतु आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियां	आवेदक का प्रत्युत्तर	टिप्पणियां
<b>अनुभाग क: कंपनी प्रोफाइल</b>			
1	आवेदक का नाम		
2	उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
3	निगमन की तारीख: [ता/मा/वर्ष]		निगमन प्रमाणपत्र/प्रसंविदा विलेख/अन्य विधिमान्य सबूत
4	रजिस्ट्रीकरण सं.(आवेदक के अधिवास के देश में विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, यदि कोई है) और प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख [ता/मा/वर्ष]		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5	बीमा मध्यवर्ती की वर्तमान शृंखला क. बीमा वैब संकलनकर्ता ख. ब्रोकर – प्रत्यक्ष/विविध/पुनर्बीमा		
6	प्राधिकृत पूंजी, अभिदत्त पूंजी, निर्गम पूंजी की रकम और शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या/ भागीदारों/सदस्यों द्वारा कुल अंशदान		

	और प्रत्येक भागीदार/सदस्य द्वारा व्यक्तिगत अंशदान		
7	प्रस्तावित आई.डब्ल्यू.ए. के कार्यकलापों के लिए और आगे पत्रव्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		आई.डब्ल्यू.ए. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नियुक्त करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रति दें
8	चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके समतुल्य द्वारा सम्यक् रूप प्रमाणित शुद्ध संपत्ति		
9	<b>बोर्ड के संकल्प</b> आई.डब्ल्यू.ए. स्थापित करने की प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के बोर्ड के संकल्प की प्रति दें		उपाबंध-
10	<b>भारत में विनियमनकारी अनुमोदन</b> क.एस.ई.ज़ैड में कार्यालय खोलने/ कारबार करने के लिए समुचित प्राधिकारी से अनुमोदन के प्रमाणपत्र दे। ख.स्थायी लेखा संख्यांक(यदि आयकर प्राधिकारियों द्वारा आबंटित किया गया है)		उपाबंध-
11	<b>सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति से प्रमाणपत्र:</b> भारत में व्यवसायगत किसी सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति से यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के साथ पठित अधिनियम और नियमों, परिपत्रों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।		उपाबंध-
12	<b>वार्षिक रिपोर्टें</b> पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें		उपाबंध-
13	प्रशिक्षण और अनुभव संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन		
14	कार्यालय का ब्यौरा, जो खोला जाना प्रस्तावित है:	(क).कार्यालय का नाम:  (ख).कार्यालय पता (यदि आई.डब्ल्यू. ए. का कार्यालय पता उपलब्ध नहीं है तो प्रतिनिधि का पता या कंपनी का पता):	

		(ग).पत्र-व्यवहार के लिए पता (प्रधान अधिकारी का नाम, टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,मोबाइल नं.,ईमेल पता और ऐसे अन्य ब्यौरे दें) (घ)प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उत्तरदायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित) (ङ).संगठनात्मक ढांचा: आई. डब्ल्यू.ए. का नियंत्रि कंपनी से रिपोर्टिंग संबंध च.प्रस्तावित कार्यालय में योजनाबद्ध अवसंरचना	
15	फीस का संदाय करने के ब्यौरे		
16	निवेशित की जाने वाली किसी अतिरिक्त पूंजी के ब्यौरे, यदि लागू हो		
17	पूर्ववर्ती आवेदन की विशिष्टियां: क्या आवेदक ने इससे पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमा कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो विशिष्टियां दें		

18. बीमा मध्यवर्ती के शेयरधारकों के ब्यौरे:[कृपया मध्यवर्ती का पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, आजीविका, अर्हताएं और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूंजी की प्रतिशतता दें] कृपया पृथक् शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। उन व्यक्तियों के ब्यौरे पृथक् शीट में दिए जाने हैं, जो आवेदक और संप्रवर्तकों की निर्गम पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक धारण किए हुए हैं।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]/ कारपोरेट का नाम	जन्म की तारीख/ निगमन की तारीख	टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,ईमेल सहित पता	अर्हताएं*	अनुभव*	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या(मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

\*स्तंभ 4 से स्तंभ 6 तक कारपोरेट शेयरधारकों के लिए खाली छोड़े जा सकेंगे

अनुभाग ख: अपने देश में विनियमनकारी अनुपालन	
19	अधिवास के देश में, जहां आवेदक रजिस्ट्रीकृत है, विनियामक प्राधिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे, यदि लागू हो

20	<b>प्राधिकार प्रमाणपत्र</b> आई.डब्ल्यू.ए. स्थापित करने के लिए निगमन के देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया प्राधिकार प्रमाणपत्र दें, यदि लागू हो।		उपाबंध-
21	अपने देश में वृत्तिक क्षतिपूर्ति पालिसी संबंधी अपेक्षाएं, यदि लागू हों।		
22	अपने देश के विनियामक द्वारा विहित न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाएं		
23	आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए आवेदक द्वारा रखी गई पूंजी		
<b>अनुभाग ग: आई.डब्ल्यू.ए. की कारबार रणनीति</b>			
24	<b>मार्केट अनुसंधान और विश्लेषण</b> आवेदक ने बाजार की संभावनाओं को अभिनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार का मार्केट विश्लेषण किया हो सकता है। आवेदक अनुसंधान का पूरा विवरण, निकाले गए निष्कर्षों सहित प्रस्तुत कर सकता है।		उपाबंध-
25	<b>पेश की जाने वाली सेवाओं के प्रकार</b> आवेदक आई.डब्ल्यू.ए. सेवाओं के उन प्रवर्गों के ब्यौरे दे सकता है, जो वह प्रदान करने की पेशकश करेगा। इसके साथ, आवेदक की अगले 3 वर्ष के लिए कारबार योजना।		उपाबंध-
26	<b>निष्कर्ष</b> अंततः, कृपया प्रचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करें। किसी विशेष मुद्दे या चिन्ता को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।		

#### प्रमाणन

मैं, अधोहस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं और यह कि अनुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत उपधारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर(पदनाम और मुद्रा सहित)

**अनुसूची-3**  
**[विनियम 7(2) देखिए]**  
**रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र**  
**भारतीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण**  
**रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र**

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....

प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 42घ की उपधारा (1) के साथ पठित आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (इकाई का नाम) को बीमा वैब संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

(1) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (ता/मा/वर्ष) से (ता/मा/वर्ष) तक विधिमान्य होगा।

(2) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के

उपबंधों के अध्यधीन है और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के भी अध्यधीन है, जो प्राधिकरण अधिरोपित करे।

स्थान:

आदेश द्वारा

तारीख:

तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की ओर से

**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण**  
**रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र**

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक:

**बीमा टेलीमार्केटर के रूप में कृत्य करने/बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य के लिए अनुमोदन**

प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 42घ की उपधारा (1) के साथ पठित आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स \_\_\_\_\_ को इन विनियमों के अधीन बीमा टेलीमार्केटिंग/बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

(1) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (ता/मा/वर्ष) से (ता/मा/वर्ष) तक विधिमान्य होगा।

(2) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के उपबंधों के अध्यधीन है और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के भी अध्यधीन है, जो प्राधिकरण अधिरोपित करे।

स्थान:

तारीख:

आदेश द्वारा  
 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की ओर से

## अनुसूची-4

## [विनियम 9 देखिए]

## आई.डब्ल्यू.ए. के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

## प्ररूप भरने के लिए अनुदेश:

1. यह महत्वपूर्ण है कि नवीकरण के लिए यह आवेदन पत्र भरने से पूर्व, आई.एफ.एस.सी.ए.(आई.डब्ल्यू.ए.) विनियम, 2022 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाए।
2. आवेदक को सम्यक् रूप से संपूरित नवीकरण के लिए आवेदन पत्र समस्त समर्थनकारी दस्तावेजों सहित प्राधिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए।

## 1. आवेदक की विशिष्टियां

1.1 आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

1.2 पता – कारबार का प्रमुख स्थान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

पिन/ज़िप कोड	इमेल
टेलीफोन नं.	फैक्स नं.

1.3 पत्र-व्यवहार के लिए पता

पिन/ज़िप कोड	इमेल
टेलीफोन नं.	फैक्स नं.

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम (परिवर्तन, यदि कोई है, की दशा में प्रस्तुत किया जाए)

--	--

2. संगठन –ढांचा (यदि आवेदन पत्र के क्रम सं. 2 के अधीन किसी भी मद में कोई परिवर्तन है तो प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा कृपया “कोई परिवर्तन नहीं” लिखिए)

## 3. कारबार संबंधी जानकारी

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की विशिष्टियां (परिवर्तन, यदि कोई है, की दशा में प्रस्तुत की जाएं)

नाम	पदनाम/प्रास्थिति	अर्हता	बीमे से संबंधित अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कृत्य संबंधी क्षेत्र

## 4. अन्य जानकारी

4.1 सभी निपटाए गए और लंबित विवादों के, यदि कोई हैं, ब्यौरे: (पृथक् शीट संलग्न करें और नीचे दर्शाए गए प्ररूप में



पूरी जानकारी दें)

विवाद की प्रकृति	पक्षकार का नाम	निपटाया गया/लंबित

\*\*यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें

4.2 आवेदक या किसी निदेशक या अभिहित भागीदारों या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए किसी आर्थिक अपराध के, यदि कोई हैं, ब्यौरे

4.3 ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो इस आवेदन के प्रक्रमण के लिए सुसंगत समझी जाए।

### 5. बीमा टेलीमार्केटिंग बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य के लिए अनुज्ञा का नवीकरण

5.1 क्या आप बीमा टेलीमार्केटिंग बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य जारी रखना चाहते हैं/हां/नहीं

5.2 क्या ट्राई का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है/हां/नहीं

5.3 प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं की अद्यतन सूची

नाम	अर्हता	प्रयोजित करने वाली इकाई	प्रमाणपत्र सं.	कब तक विधिमान्य	पैन/आधार नं.

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चार्ट संलग्न करें।

5.4 ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो इस आवेदन के प्रक्रमण के लिए सुसंगत समझी जाए।

आवेदक की ओर से

आवेदक की ओर से

-----

-----

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और नाम

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और नाम

स्थान:

तारीख:

### अनुसूची -5

#### [विनियम 9 देखिए]

नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

1. उपाबंध "1" में दिए गए प्ररूप में स्वतः प्रमाणित वचनबंध;
2. वैबसाइट होस्ट करने के स्थान की पुष्टि, जैसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रचालन कार्यालय, केवल तभी जब कोई परिवर्तन है;
3. उन व्यक्तियों की सूची, जिनका बीमा वैब संकलन के संबंध में वैबसाइट की अंतर्वस्तुओं पर नियंत्रण है या उनके लिए उत्तरदायी हैं. केवल तभी जब कोई परिवर्तन है;

4. प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं के नवीकरण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र;
5. प्राधिकरण द्वारा ईप्सित कोई अन्य दस्तावेज़/जानकारी ।

टिप्पण: दस्तावेज़ों की सभी प्रतियां प्रधान अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए ।

उपाबंध "1"

वचनबंध का प्ररूप

संदर्भ सं.

तारीख

कार्यपालक निदेशक,

बीमा विभाग,

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात

महोदय,

हम एतद्वारा निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

संप्रवर्तकों/प्रबंधतंत्र/आवेदक कंपनी पर आज की तारीख तक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है (यदि कोई हस्तक्षेप है तो हस्तक्षेप के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)

1. प्रधान अधिकारी ने आई.एफ.एस.सी.ए.(आई.डब्ल्यू.ए.) विनियम, 2022 में यथा-विनिर्दिष्ट आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है;
2. आवेदक कंपनी, प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए संगम ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित रहते हुए विनियमों का अनुपालन करेगी;
3. प्रधान अधिकारी की नियुक्ति अनन्य रूप से विनियमों के अधीन आई.डब्ल्यू.ए. के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की गई है और वह किसी अन्य बीमे से संबंधित या किसी अन्य इकाई में या तो पूर्णकालिक रूप में या अंशकालिक आधार पर न तो कोई निदेशक का पद/नियोजन/नियतकार्य धारण किए हुए हैं और न ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसा है तो वह प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से है। (जो लागू न हो उसे काट दीजिए);
4. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुपालन में संदेय कमीशन या दर्शाए गए प्रीमियम पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संपूर्ण या आंशिक रूप से कोई रिबेट नहीं दी है;
5. हम यह अभिपुष्ट करते हैं कि न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं को, शेयरों और प्रतिभूतियों का क्रय करने तथा अंतर-कारपोरेट निक्षेप रखने और ऋण देने आदि में उपयोग करके कमज़ोर नहीं किया गया है;
6. हम यह अभिपुष्ट करते हैं कि पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण अवधि के दौरान आई.एफ.एस. सी.ए. (आई.डब्ल्यू.ए.) विनियम, 2022 के विनियम 27 में यथा-विनिर्दिष्ट कर्तव्यों और कृत्यों का अनुपालन किया गया है;
7. हम यह अभिपुष्ट करते हैं कि उपर्युक्त कथन हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं;
8. हम इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-विहित समस्त लागू विनियमों/नियमों/नोटिसों/परिपत्रों का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

प्रधान अधिकारी पी.ओ. से भिन्न निदेशक/अभिहित भागीदार

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

**टिप्पण:** जो घोषणा लागू न हो उसे काट दीजिए और सुसंगत जानकारी पृथक् रूप से संलग्न करें।

### अनुसूची-6

#### [विनियम 9(5) देखिए]

#### रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र

##### रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

बीमा वैब संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए \_\_\_\_\_ (इकाई का नाम) का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा आई.एफ.एस.सी.ए.(बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के विनियम 9 और बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।

(2) तारीख \_\_\_\_\_ को जारी किया गया।

(3) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र (ता/मा/वर्ष) से (ता/मा/वर्ष) तक विधिमान्य होगा।

(4) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के उपबंधों के अधीन है और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन है, जो प्राधिकरण अधिरोपित करे।

स्थान:

तारीख:

आदेश द्वारा

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की ओर से

-----

**बीमा टेलीमार्केटिंग के रूप कृत्य करने/बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य के लिए अनुमोदन का नवीकरण**

##### रजिस्ट्रीकरण संख्यांक:

बीमा वैब संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए \_\_\_\_\_ (इकाई का नाम) का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा आई.एफ.एस.सी.ए.(बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के विनियम 9 और बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है। प्राधिकरण एतद्वारा मैसर्स \_\_\_\_\_ को बीमा टेलीमार्केटिंग/बीमा ऑउटसोर्सिंग कार्य जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

(2) तारीख \_\_\_\_\_ को जारी किया गया।

(3) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र (ता/मा/वर्ष) से (ता/मा/वर्ष) तक विधिमान्य होगा।

(4) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा वैब संकलनकर्ता) विनियम, 2022 के उपबंधों के अधीन है और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन है, जो प्राधिकरण अधिरोपित करे।

स्थान:

तारीख:

आदेश द्वारा  
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की ओर से

**अनुसूची-7**  
**[विनियम 15 देखिए]**

**वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा बनाए रखना**

1. बीमा कवर में किसी आई.डब्ल्यू.ए. को निम्नलिखित के लिए क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए:-

- (क) उसकी ओर से या उसके कर्मचारियों और निदेशकों/अभिहित भागीदारों की ओर से कोई त्रुटि या लोप या उपेक्षा;
- (ख) धन या अन्य संपत्ति की ऐसी कोई हानि जिसके लिए आई.डब्ल्यू.ए. किसी कपटपूर्ण कार्य या लोप के परिणामस्वरूप दायी है;
- (ग) दस्तावेजों की कोई हानि और ऐसे दस्तावेजों को प्रतिस्थापित या पुनःस्थापित करने में उपगत व्यय;
- (घ) आई.डब्ल्यू.ए. के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों द्वारा बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण कार्य या लोप।

2. क्षतिपूर्ति कवर –

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संपूर्ण अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगा;
- (ख) इस आशय के कोई निबंधन अंतर्विष्ट नहीं करेगा कि दावों के संदाय आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा प्रथमतः दायित्व की पूर्ति करने पर निर्भर होंगे;
- (ग) उस समय को ध्यान में रखे बिना जब दावे को उद्भूत करने वाली घटना घटी हो, बीमे की अवधि के दौरान किए गए सभी दावों की बाबत क्षतिपूर्ति करेगा।

परन्तु प्राधिकरण द्वारा विशेष मामलों में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे क्षतिपूर्ति बीमा कवर को अनुज्ञात किया जा सकेगा जो पूर्णतः उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं।

3. आई.डब्ल्यू.ए. की दशा में, किसी एक दावे के लिए और वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की सीमा, न्यूनतम 30,000 अमरीकी डॉलर और अधिकतम 13.25 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक का दोगुना होगी।

4. प्रत्येक दावे की बाबत अबीमाकृत आधिक्य, आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा कारबार में नियोजित पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5. बीमा पालिसी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी, जिसने आई.डब्ल्यू.ए. को ऐसा वार्षिक प्रमाणपत्र देने का करार किया है, जिसमें इस आशय के साक्ष्य के रूप में कि वह कवर प्राधिकरण की अपेक्षाओं को पूरा

करता है, आई.डब्ल्यू.ए. का नाम और पता, जिसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक भी है, पालिसी संख्यांक, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता का नाम अंतर्विष्ट हो।

6. ऐसा आवेदक, जिसने किसी आई.डब्ल्यू.ए. की स्थापना एक शाखा के रूप में की है, अपने प्रधान कार्यालय में वृत्तिक क्षतिपूर्ति पालिसी की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और ऐसी पालिसी पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि आई.एफ.एस.सी. शाखा कार्यालय के प्रचालनों से उद्भूत दायित्व भी, यदि कोई है, ऐसी पालिसी के अंतर्गत आते हैं।

7. ऐसी कोई अन्य शर्त, जैसा प्राधिकरण सलाह दे।

### अनुसूची-8

#### [विनियम 24 देखिए]

#### प्राधिकरण को प्रकटन

1. आई.डब्ल्यू.ए. प्राधिकरण को निम्नलिखित घटना के तीस (30) दिन के भीतर निम्नलिखित जानकारी प्रकट करेगा -

(क) पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी या विशिष्टियों में कोई ऐसा परिवर्तन जिसका उसे प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) अन्य विनियामक या सरकारी निकायों द्वारा उनके विरुद्ध संस्थित की गई कार्यवाहियों की दशा में, युक्तियुक्त समय के भीतर किन्तु ऐसी कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से तीस (30) दिन के अपश्चात्। ऐसे अन्य निकाय द्वारा की गई कोई कार्रवाई या जारी कोई निदेश भी, प्राधिकरण को ऊपर विहित समय-सीमाओं के भीतर प्रकट किया जाएगा।

2. आई.डब्ल्यू.ए., प्राधिकरण को घटना के पन्द्रह(15) दिन के भीतर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

(क) वृत्तिक क्षतिपूर्ति पालिसी के अधीन किसी दावे की बाबत;

(ख) भारत में किसी संपत्ति का अर्जन करने पर;

3. आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात् या आवेदन के प्रक्रमण के दौरान उनके आवेदन पर विचार करने के लिए दी गई जानकारी में किसी परिवर्तन की दशा में, आवेदक द्वारा ऐसे परिवर्तन को प्राधिकरण के विचारार्थ प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा।

4. प्राधिकरण, आई.डब्ल्यू.ए. से उस रीति में, जो उस विषय में विनिर्दिष्ट की जाए, समय-समय पर जानकारी/डाटा/दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

5. ऐसा कोई अन्य प्रकटन, ऐसी कोई अन्य जानकारी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा वांछा की जाए।

### अनुसूची-9

#### [विनियम 25 देखिए]

#### प्राधिकृत सत्यापनकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व

1. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता:

(क) आई.डब्ल्यू.ए. या टेलीमार्केटर की नामावली में होगा और भारत में निवासी होगा;

(ख) बीमा कारबार की याचना केवल टेली-मार्केटिंग/दूरस्थ मार्केटिंग पद्धति के माध्यम से ही करेगा;

(ग) ऐसे भावी ग्राहकों/पालिसीधारकों से, जो उन उत्पादों पर, जिनका वे क्रय करना चाहते हैं, सहायता या स्पष्टीकरण की ईप्सा कर रहे हैं, आने वाली टेलीफोन कॉल ग्रहण करेगा;

(घ) किसी बीमा उत्पाद का विक्रय भावी ग्राहक की आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर करेगा;

(ङ) ग्राहक को विकल्प चुनने में सहायता करने के लिए अन्य कंपनियों के समरूप बीमा उत्पाद की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करेगा;

(च) बीमा उत्पादों की याचना करने के लिए अवांछित टेलीफोन कॉल नहीं करेगा;

(छ) बीमा उत्पाद के अधीन फायदों को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर भावी ग्राहकों को मिथ्या वचन नहीं देगा या उन्हें प्रभोलित नहीं करेगा;

(ज) विहित प्रशिक्षण पूरा करेगा और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

2. आई.डब्ल्यू.ए.. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता द्वारा विक्रीत प्रत्येक बीमा पालिसी को, विक्रय और शिकायतों को, यदि कोई है, ट्रैक करने के लिए अपनी पहचान के साथ टैग करेगा, जिन तक प्राधिकरण को रिमोट आधार पर पहुंच दी जाएगी।

3. कोई प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, अपने पूर्व नियोजक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् या उसके लिए अनुरोध करने के तीस(30) दिन के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, एक आई.डब्ल्यू.ए./टेलीमार्केटर से किसी अन्य आई.डब्ल्यू.ए./टेलीमार्केटर में स्थानांतरित हो सकेगा।

4. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता ऐसी किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाए।

### अनुसूची-10

#### [विनियम 24 देखिए]

#### आई.डब्ल्यू.ए. के कारबार का संचालन

1. आई.डब्ल्यू.ए. -

(क) ऐसे बीमाकर्ताओं के, जिन्होंने आई.डब्ल्यू.ए. के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उत्पादों से संबंधित जानकारी उनकी अभिहित वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा;

(ख) बीमाकर्ताओं के लिए लीड तैयार करने के प्रयाजनार्थ क्रियाकलापों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्रणालियां (हार्डवेयर और साफ्टवेयर, दोनों) जिसके अंतर्गत संकलन वेबसाइट/पोर्टल, लीड प्रबंधन प्रणाली और वेबसाइटों को होस्ट करने वाले डाटा केन्द्र/पोर्टल/लीड प्रबंधन प्रणाली भी है, भारत में समय-समय पर प्रवृत्त साधारणतया स्वीकृत सूचना सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि लीड और अन्य डाटा बीमाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को 128 बिट इनक्रिप्शन जैसी सुरक्षित लेयर डाटा इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करके ही पारेषित किया जाए;

(ङ) जब आई.डब्ल्यू.ए. को बीमाकर्ता द्वारा उसकी ओर से प्रीमियम संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तब प्रीमियम के संग्रहण और उसे बीमाकर्ताओं को अंतरित करने के लिए केवल अनुमोदित संदाय गेटवेज़ का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेगा;

(च) सूचना प्रणालियों (हार्डवेयर और साफ्टवेयर, दोनों) को, जिसके अंतर्गत संकलन वेबसाइट/पोर्टल, लीड प्रबंधन प्रणाली और वेबसाइटों को होस्ट करने वाले डाटा केन्द्र/पोर्टल/लीड प्रबंधन प्रणाली भी है, भारत में होस्ट कराना और वित्तीय वर्ष में एक बार उनकी सी.ई.आर.टी -इन पैन्लित सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा कराना और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/रिपोर्ट की प्रति को आई.एफ.एस.सी.ए. और ऐसे बीमाकर्ताओं को, जिनके साथ आई.डब्ल्यू.ए. ने करार किया है, उसकी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह (15) दिन के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा;

(छ) अपने कानूनी लेखापरीक्षक से वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक आधार पर ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना

सुनिश्चित करेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आई.एफ.एस.सी.ए. (आई.डब्ल्यू.ए.) विनियम, 2022 के समस्त उपबंधों और ढांचे का अनुपालन किया गया है;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि आई.डब्ल्यू.ए. का प्रधान अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर प्राधिकरण को इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.डब्ल्यू.ए. ने उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों के समस्त उपबंधों का अनुपालन किया है;

(झ) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता द्वारा विक्रीत प्रत्येक बीमा पालिसी को विक्रयों और शिकायतों को, यदि कोई हैं, ट्रैक करने के लिए अपनी पहचान से टैग करेगा जिस तक प्राधिकरण को रिमोट आधार पर पहुंच प्रदान की जाएगी।

## 2. आई.डब्ल्यू.ए. -

(क) वित्तीय संस्थाओं या एफ.एम.सी.जी. के उत्पादों या उनकी सेवाओं से संबंधित किसी जानकारी को प्रदर्शित नहीं करेगा;

(क) लीड तैयार करने/उत्पाद की तुलना आदि के लिए निम्नलिखित अपवादों के अधीन रहते हुए विभिन्न वैबसाइटों का प्रचालन नहीं करेगा या अन्य अनुमोदित/ अननुमोदित/अरजिस्ट्रीकृत इकाइयों/वैबसाइटों के साथ टाइ-अप नहीं करेगा:

बीमा उत्पादों की तुलना के लिए प्रयुक्त आई.डब्ल्यू.ए. की प्राथमिक वैबसाइट के स्थान पर विभिन्न डोमेन नाम का प्रयोग करना या उन्हीं डोमेन नामों के बाद .com, .in या co.in जैसे शब्द लगाना अनुज्ञात है:

परन्तु -

(i) प्राथमिक या द्वितीयक या विशिष्ट उत्पाद प्रवर्ग की वैबसाइटें या मोबाइल साइटें आई.डब्ल्यू.ए. के स्वावित्वाधीन हों और उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत हों;

(ii) आई.डब्ल्यू.ए. ऐसी वैबसाइटों या मोबाइल साइटों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और उन्हें लांच करने की तारीख के बारे में भी प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु किए गए आवेदन में लिखित में और तत्पश्चात् विद्यमान वैबसाइटों या नई वैबसाइटों के नाम(नामों) में किसी परिवर्तन की दशा में क्रमशः डोमेन नाम के रजिस्ट्रीकरण और उन्हें लांच करने की तारीख से पन्द्रह(15) दिन के भीतर सूचित करेगा।

## 3. आई.डब्ल्यू.ए. की नामपद्धति -

(क) समस्त आई.डब्ल्यू.ए., अपने क्रियाकलाप की श्रृंखला प्रतिबिंबित करने और जनता को रजिस्ट्रीकृत आई.डब्ल्यू.ए. और बीमे से संबंधित अन्य इकाइयों से प्रभेद करने में समर्थ बनाने के लिए कंपनी/एल.एल.पी. के नाम में "आई.डब्ल्यू.ए." शब्द रखेंगे। ऐसे आवेदनों पर, जो आई.डब्ल्यू.ए. के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करते हैं, नामपद्धति संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने के अभाव में विचार नहीं किया जाएगा;

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत आई.डब्ल्यू.ए., प्राधिकरण के सभी हितधारकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में अपना रजिस्ट्रीकृत नाम, रजिस्ट्रीकरण और कारपोरेट कार्यालय का पता, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और विधिमान्यता अवधि प्रदर्शित करेगा।

(ख) आई.डब्ल्यू.ए., अपने पत्राचार/साहित्य/लैटर हैड में, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य नाम का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं हैं।

4. ऐसी कोई अन्य अपेक्षा, जैसा प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाए।

**अनुसूची-11****[विनियम 19 देखिए]****वैबसाइट पर उत्पादों के मिलान को प्रदर्शित करना**

1. आई.डब्ल्यू.ए. होम पेज पर प्रमुख रूप से एक सूचना प्रकट करेगा कि:

(क) भावी ग्राहकों/परिदर्शकों की विशिष्टियां बीमाकर्ताओं के साथ साझा की जा सकती हैं।

(ख) “उसकी वैबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी उन बीमाकर्ताओं की है, जिनके साथ उसका करार है” ;

2. आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा प्रदर्शित उत्पाद की जानकारी प्रामाणिक होगी और वह एकमात्र रूप से बीमाकर्ताओं से प्राप्त जानकारी पर आधारित होगी;

3. आई.डब्ल्यू.ए. अपनी वैबसाइट पर बीमा उत्पादों की रेटिंग, रैंकिंग, पृष्ठांकन या सर्वोत्तम विक्रेता प्रदर्शित नहीं करेंगे। आई.डब्ल्यू.ए. की वैबसाइट की अंतर्वस्तु निष्पक्ष और तथ्यात्मक प्रकृति की होगी; वे अपने संपादकीय में या अपनी वैबसाइट के किसी अन्य स्थान पर बीमाकर्ताओं या उनके उत्पादों के बारे में टिप्पणियां करने से विरत रहेंगे;

4. आई.डब्ल्यू.ए. की अभिहित वैबसाइट पर प्रदर्शित तुलनात्मक चार्ट, ग्राहक को उन वैब पृष्ठों पर ले जाएगा जिन्हें उसके द्वारा निम्नलिखित क्रम में अभिस्वीकार किया जाएगा:

(क) कवरेज,

(ख) अपवर्जन,

(ग) फायदे,

(घ) समयवधियां,

(ङ) शर्तें और

(च) कीमत

5. टैम्पलेट, आई.डब्ल्यू.ए. और उन बीमाकर्ताओं के बीच, जिनके उत्पादों की तुलना की जाती है, पारस्परिक रूप से तैयार किए जाएंगे;

6. उत्पादों की तुलना, जिन्हें प्रदर्शित किया गया है, अद्यतन होगी और वह उत्पादों का सही चित्र प्रतिबिंबित करेगी;

7. उत्पादों की कीमत की तुलना सभी करें और सकल आधार पर फीसों सहित होगी, जिससे कि भावी ग्राहक एक जैसा मिलान करने में समर्थ हो सकें;

8. आई.डब्ल्यू.ए., बीमाकर्ताओं द्वारा उन्हें प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर ही उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करेंगे;

9. ऐसी कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज़, जैसी कि प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाए।

**अनुसूची 12****[विनियम 20 देखिए]****लीड को साझा करने की रीति**

1. आई.डब्ल्यू.ए. ऐसी लीड प्रबंधन प्रणालियों(एल.एम.एस.) का प्रयोग करेगा जो आई.डब्ल्यू.ए. की अभिहित वैबसाइट पर परिदर्शकों के पूर्ण ब्यौरों को और तैयार की गई लीड को, जिसके अंतर्गत परिदर्शक की अधिमानता भी है, अभिलिखित करने में सक्षम है।

2. एल.एम.एस. का डाटा ऐसी बीमा कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा जिन्होंने आई.डब्ल्यू.ए. के साथ करार पर



हस्ताक्षर किए हैं।

3. एल.एम.एस. की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. आई.डब्ल्यू.ए. होम पेज पर प्रमुख रूप से यह प्रकट करेगा कि भावी ग्राहकों/परिदर्शकों की विशिष्टियां बीमाकर्ताओं के साथ साझा की जा सकती हैं।
5. आई.डब्ल्यू.ए. परिदर्शक द्वारा ऐसे तीन बीमाकर्ताओं का चयन करने का विकल्प प्रदान करेगा, जिन्हें साथ-साथ लीड पारेषित की जाएगी।
6. आई.डब्ल्यू.ए. किसी भावी ग्राहक का डाटा अंतर्विष्ट करने वाली लीड को ऐसे बीमाकर्ता(बीमाकर्ताओं) से भिन्न बीमाकर्ता को, जिनके बारे में भावी ग्राहक ने अधिमानता दी है, पारेषित नहीं करेगा।

परन्तु यदि भावी ग्राहक बीमा का क्रय करने का हित प्रकट करता है किन्तु किसी बीमाकर्ता के बारे में अधिमानता नहीं देता तो आई.डब्ल्यू.ए. उसकी लीड को, भावी ग्राहक की आवश्यकता का विश्लेषण करने के आधार पर बीमा कारबार के एक ही प्रवर्ग के तीन से अधिक बीमाकर्ताओं को पारेषित नहीं करेगा।

7. आई.डब्ल्यू.ए. भावी ग्राहकों का डाटा अंतर्विष्ट करने वाली लीड को इस प्रकार बीमाकर्ता को पारेषित करेगा –

- (क) जैसा पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से करार किया जाए;
- (ख) भावी ग्राहकों की जानकारी को अप्राधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित करके;
- (ग) युक्तियुक्त स्तर की उपयुक्तता, विश्वसनीयता और शुद्धता के साथ, और
- (घ) साधारणतया स्वीकृत आई.टी. सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करके

8. आई.डब्ल्यू.ए., एल.एम.एस. प्रणालियों की बारह(12) मास में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा करने के लिए एक लेखापरीक्षा फर्म नियोजित करेगा।
9. लेखापरीक्षा फर्म की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए जो सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के लिए उसका संज्ञान लेने के लिए उत्तरदायी होगी।
10. बीमाकर्ता को, लीड के पालिसी में संपरिवर्तित होने पर, पालिसी के व्यौरों को उस आई.डब्ल्यू.ए. के एल.एम.एस. पर, जिससे लीड प्राप्त हुई थी, वापस डालना चाहिए।
11. ऐसी कोई अन्य रीति, जैसा प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाए।

### अनुसूची-13

#### [विनियम 22 देखिए]

#### बीमा उत्पादों का टेलीमार्केटिंग द्वारा या अन्य दूरस्थ मार्केटिंग पद्धतियों द्वारा विक्रय:

1. परिधि और उपयोज्यता – इसके अंतर्गत ऑनलाइन विक्रय के सिवाय टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग क्रियाकलाप आते हैं –

(क) टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग के अंतर्गत निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से बीमा उत्पादों की याचना करने और उनका विक्रय करने का प्रत्येक क्रियाकलाप/प्रक्रम आता है:

- (i) आवाज़ पद्धति, जिसके अंतर्गत टेलीफोन कालिंग भी है;
- (ii) लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.);
- (iii) इलैक्ट्रॉनिक पद्धति, जिसके अंतर्गत ईमेल और इंटरैक्टिव टेलीविज़न(डी.टी.एच.) भी है;

(iv) ऐसे किसी माध्यम द्वारा याचना करना, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दूरस्थ मार्केटिंग के अधीन अनुमोदित किया जाए।

(ख) ये अनुदेश, अन्य समरूप क्रियाकलापों के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित क्रियाकलापों की दशा में लागू होते हैं:

- (i) बीमे का क्रय करने के भावी ग्राहक के आशय को अभिनिश्चित करने के लिए दूरस्थ पद्धति का प्रयोग;
- (ii) दूरस्थ पद्धति द्वारा याचना करना तथा विक्रय करना; और
- (iii) भावी ग्राहकों द्वारा बीमा उत्पादों की जानकारी या विक्रय की ईप्सा करने के लिए अनुरोध करना।

**2. टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग:-** ऐसा आई.डब्ल्यू.ए., जो बीमा कारबार की याचना करने के प्रयोजनार्थ, टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग का कार्य करने की वांछा करता है:-

(क) 'टेलीमार्केटर' के रूप में रजिस्टर कराएगा;

(ख) टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग संबंधी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए इन विनियमों के विनियम 3(घ) में यथा-परिभाषित प्राधिकृत सत्यापनकर्ता नियोजित करेगा;

(ग) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करते समय, यदि वह ऐसी वांछा करे, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को, जिसके अंतर्गत समर्थनकारी दस्तावेज़ भी हैं, सत्यापित कर सकेगा और आवेदक के कार्यालयों और अवसंरचना का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) प्राधिकरण, आवेदन पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के प्रति निर्देश से विचार करने के पश्चात्, आई.डब्ल्यू.ए. को टेलीमार्केटर के रूप में कृत्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगा।

### 3. अनुपालन –

आई.डब्ल्यू.ए., इन अनुदेशों के अतिरिक्त, बीमा अधिनियम, 1938, आई.टी. अधिनियम, 2000, ट्राई अधिनियम, 1997, दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संसूचना (संशोधन) विनियम, 2008 के सभी लागू उपबंधों और नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गई यथा-लागू किसी अन्य सलाह का अनुपालन करेगा।

### 4. आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए नियोजित व्यक्ति-

(क) आई.डब्ल्यू.ए., 'टेलीमार्केटिंग' और 'दूरस्थ मार्केटिंग' के माध्यम से बीमा कारबार की याचना करने के प्रयोजनार्थ, इन विनियमों के विनियम 3(घ) में यथापरिभाषित एक प्राधिकृत सत्यापनकर्ता नियोजित करेगा;

(ख) आई.डब्ल्यू.ए., उसकी ओर से नियोजित प्राधिकृत सत्यापनकर्ता के सभी कार्यों और लोपों के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता दूरस्थ पद्धति द्वारा बीमा उत्पादों के विक्रय के लिए उत्तरदायी होगा।

**5. बीमाकर्ता और आई.डब्ल्यू.ए. के बीच करार:** बीमाकर्ता और आई.डब्ल्यू.ए. के बीच करार में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित खंड शामिल होंगे:-

(क) आई.डब्ल्यू.ए. सभी टेलीकॉलों की रिकार्डिंग को पांच वर्ष की अवधि के लिए रखेगा/परिरक्षित करेगा;

(ख) टेलीमार्केटर, उनके द्वारा नियोजित सभी प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं के अभिलेख, उनके प्रशिक्षण और निर्धारण विशिष्टियों सहित, रखेगा;

(ग) टेलीमार्केटर, प्राधिकृत सत्यापनकर्ता के पहचान सबूत के रूप में उसके पैन/आधार कार्ड की एक प्रति रखेगा;

(घ) ऊपर (क) और (ख) के अधीन अभिलेख प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध होगा।

#### 6. आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा दूरस्थ मार्केटिंग:-

(क) आई.डब्ल्यू.ए. किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के उत्पादों का अनन्य रूप से संवर्धन नहीं करेंगे और याचना-पूर्व आलेख(स्क्रिप्ट) के एक मानक का उपयोग करके बाजार में उपलब्ध ऐसे सर्वोत्तम उत्पाद का सुझाव देंगे जो भावी ग्राहक की आवश्यकताओं पर खरा उतरता है;

(ख) जो तुलनात्मक चार्ट प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें अद्यतन रखा जाएगा और वे एक सही चित्र प्रतिबिंबित करेंगे;

(ग) बीमाकर्ता, आई.डब्ल्यू.ए. को इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट संदायों से भिन्न किसी पारिश्रमिक का संदाय नहीं करेंगे। बीमाकर्ता, आई.डब्ल्यू.ए. या उनके संबद्ध पक्षकारों को, वैब संकलन और दूरस्थ पद्धति द्वारा याचित या उपास पालिसियों पर, अवसंरचना मद्धे या संदायों से भिन्न किसी लेखे(अनुसूची-14 के अधीन ऑउटसोर्सिंग क्रियाकलाप किए जाने के सिवाय) किसी भी नाम से कोई संदाय नहीं करेंगे;

(घ) बीमाकर्ता, आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा दूरस्थ पद्धति द्वारा उपास प्रस्थापनाओं की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करेंगे और ऐसी पालिसियों से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख अभिप्राप्त करेंगे। बीमाकर्ता, ऐसे विवाद की दशा में, जिसमें आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा आचार-भंग का अभिकथित अतिक्रमण अंतर्वलित हो, प्राधिकरण के समक्ष ऐसे अभिलेख को प्रस्तुत करेंगे।

#### 7. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता की भूमिका:-

(क) टेलीमार्केटर ऐसे प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं को नियोजित करेंगे, जो बीमा उत्पादों की याचना करने और उन्हें पूरा करने के लिए एकमात्र रूप से अनुज्ञात हैं;

(ख) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, बीमा उत्पादों के विक्रय के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के अनुसार आई.डब्ल्यू.ए. को समनुदेशित किए जाएंगे;

(ग) ऐसे समनुदेशन में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा और प्राधिकरण से इस आशय का एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा जिसके बिना प्राधिकृत सत्यापनकर्ता को बीमा उत्पादों की याचना करने या विक्रय को पूरा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

#### 8. प्राधिकृत सत्यापनकर्ता का प्रशिक्षण:-

(क) प्रत्येक प्राधिकृत सत्यापनकर्ता को ऐसे किसी संस्थान में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(ख) वह प्रशिक्षण, आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा विनियमों, प्रकटनों, कारबार के नीति-विषयक संचालन और कॉल करते समय अनुपालन किए जाने वाले विनिर्दिष्ट अनुदेशों से संबंधित विषयों में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार होगा;

(ग) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा संचालित प्रशिक्षण- पश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण करेगा;

(घ) आई.डब्ल्यू.ए. ऐसे सभी व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेंगे, जिन्हें उनके द्वारा बीमा कारबार की याचना करने के प्रयोजनार्थ नियोजित किया गया है। रजिस्टर में, प्राधिकृत सत्यापनकर्ता के नाम और पते के अलावा, पैन कार्ड या आधार कार्ड पर आधारित उसके पहचान के सबूत की विधिमान्य प्रतियां और अन्य सुसंगत परिचय-पत्र अंतर्विष्ट होंगे। बीमाकर्ता

प्रत्येक प्राधिकृत सत्यापनकर्ता को एक सुभिन्न कोड संख्यांक आबंटित करेंगे और उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित करेंगे।

### 9. याचना करने की प्रक्रिया:-

(क) टेलीकॉलिंग के माध्यम से बीमे की याचना, आई.डब्ल्यू.ए. की वैबसाइट के माध्यम से तैयार लीड पर ही आधारित होगी;

(ख) भावी ग्राहक, आई.डब्ल्यू.ए. की अभिहित वैबसाइट पर जाने पर:

(i) बीमा उत्पाद और उस कंपनी का चयन कर सकेगा, जिसका वह उससे क्रय करना चाहता है और अभिव्यक्त चुनाव करने के पश्चात् प्रीमियम के लिए संदाय करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब बीमा कंपनी द्वारा, जोखिम को स्वीकार करने के अधीन रहते हुए, एक बीमा पालिसी जारी कर दी जाएगी;

(ii) बीमा उत्पाद का चयन करता है किन्तु बीमा कंपनी की अधिमानता नहीं देता है। ऐसी दशा में, आई.डब्ल्यू.ए. उस लीड को अधिकतम तीन बीमाकर्ताओं को हस्तांतरित कर सकेगा जो कि या तो भावी ग्राहक से सीधे या उनके द्वारा नियुक्त टेलीमार्केटर के माध्यम से बातचीत करके विक्रय को पूरा कर सकेंगे; या

(iii) वैब संकलनकर्ता से उत्पाद और कंपनी चुनने में सहायता देने की ईप्सा कर सकेगा, जिस दशा में आई.डब्ल्यू.ए., बीमा उत्पाद और बीमा कंपनी की आवश्यकता का विश्लेषण करने के आधार पर भावी ग्राहक की सहायता कर सकेगा/उसे सलाह दे सकेगा।

(ग) लीड तैयार करने से बीमा उत्पाद का विक्रय करने तक के कार्य को युक्तियुक्त कालावधि में, जो कि तीन (3) मास से अधिक नहीं होगी, पूरा किया जाएगा, जिसके परे आई.डब्ल्यू.ए. उत्पाद के विक्रय के लिए क्रेडिट प्राप्त नहीं करेगा और आई.डब्ल्यू.ए. को कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा;

(घ) कोई आई.डब्ल्यू.ए. भावी ग्राहक को, उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना, टेलीकॉल करके संपर्क नहीं करेगा। तथापि, यदि आई.डब्ल्यू.ए. को भावी ग्राहक द्वारा टेलीकॉल की जाती हैं या उत्पाद के बारे में सहायता की ईप्सा की जाती है तो आई.डब्ल्यू.ए. भावी ग्राहक को समस्त संभावित सहायता प्रदान करेगा।

### 10. मानकीकृत आलेख: वैबसाइट से तैयार की गई लीड निम्नलिखित मानदंडों के विनिर्दिष्ट अनुपालन में होगी:-

(क) बीमाकर्ता, आई.डब्ल्यू.ए. से परामर्श करके, दूरस्थ पद्धतियों द्वारा विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक उत्पाद के अधीन फायदों, विशेषताओं और प्रकटनों को प्रस्तुत करने के लिए मानकीकृत आलेख तैयार करेंगे। दूरस्थ पद्धति के अधीन की गई याचना मानकीकृत आलेख के अनुरूप होगी;

(ख) आलेख में उत्पाद की समस्त प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी और उन्हें संबंधित बीमाकर्ता के अनुपालन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आलेख को बीमाकर्ता द्वारा उत्पाद अनुमोदन मानदंडों के अधीन पन्द्रह (15) दिन के भीतर प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक आलेख में आज्ञापक रूप से यह उल्लेख होगा कि भावी ग्राहक को यह सलाह दी जाती है वह बीमाकर्ता की वैबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत प्रास्पैक्टस देखें और यह कि प्रास्पैक्टस उसके ईमेल आई.डी. पर, जहां कहीं उपलब्ध है, भेज दिया जाएगा।

(घ) परिचय:-

(i) संसूचना में स्पष्ट रूप से बीमाकर्ता का नाम स्पष्ट किया जाएगा।

(ii) इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया जाएगा कि पहुंच करने का प्रयोजन लीड तैयार होना/बीमे की याचना करना है।

**(ड) भावी ग्राहक की सम्मति:-**

(i) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता इस बात का पता लगाएगा कि क्या भावी ग्राहक इस विषय में बने रहने का इच्छुक है और स्पष्ट निबंधनों में सम्मति प्राप्त होने पर ही याचना करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी;

(ii) भावी ग्राहक को इलैक्ट्रॉनिक पद्धतियों की दशा में, प्रत्येक प्रक्रम पर इस विषय पर बने रहने या पृष्ठ से हटने का विकल्प दिया जाएगा। वे घंटे, जिनके दौरान कॉल की जाती हैं, ट्राई/दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होंगे;

(iii) टेलीफोन द्वारा याचना किए जाने की दशा में, प्राधिकृत सत्यापनकर्ता का नाम प्रकट किया जाएगा और उपलब्ध भाषा के विकल्प उपदर्शित किए जाने चाहिए। पश्चात्पूर्ति संचार केवल उसी भाषा में जारी रहेगा, जो भावी ग्राहक ने चुनी है;

(iv) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, भावी ग्राहकों को यह सूचित करेगा कि कॉल को रिकार्ड किया जा रहा है और भावी ग्राहक, पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय या जब तक दावे का संतोषप्रद परिनिर्धारण नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवाज़ की प्रति के लिए हकदार है, यदि वह ऐसी बांछा करता है;

(v) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, बातचीत आरंभ करते समय भावी ग्राहक को निम्नलिखित बातें इसी क्रम में सूचित करेगा – क) बीमा वैब संकलनकर्ता का नाम, जो भावी ग्राहक को कॉल कर रहा है; ख) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता का नाम; ग) उस उत्पाद का नाम, जिसे स्पष्ट किया जा रहा है; घ) उस बीमाकर्ता का नाम, जिसका उत्पाद है।

(vi) भावी ग्राहक को, याचना करने के अनुक्रम में या उसके पश्चात् कोई असुविधा, विघ्न या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भावी ग्राहक को दूरस्थ मार्केटिंग की समस्त पद्धतियों के अधीन पूर्ण प्रकटन किए जाएंगे और गोपनीयता, एकांतता और अप्रकटन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

**(च) भावी ग्राहक की जानकारी:**

(i) भावी ग्राहक तथा बीमाकृत किए जाने वाले व्यक्ति/आस्ति से संबंधित सभी सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त की जाएगी और यथार्थ रूप से भावी ग्राहक की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के आधार पर याचना की जाएगी;

(ii) बीमा वैब संकलनकर्ता द्वारा, भावी ग्राहक को उसके द्वारा घोषित उसके ईमेल आई.डी. पर आवाज़ की प्रतिलिपि भेजी जाएगी।

**(छ) उत्पाद के फायदे और विशेषताएं:** मानकीकृत आलेख के अंतर्गत उत्पाद की प्रस्तुति के अनुक्रम में निम्नलिखित मदें आएंगी:

(i) दूरस्थ याचना की सभी पद्धतियों के अधीन नीचे दी गई प्रत्येक मद के सामने भावी ग्राहक के सहमत/असहमत, हा/नहीं, स्वीकार/अस्वीकार, समझ गया/नहीं समझा, जो भी लागू हो, के रूप में विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर।

(ii) सुझाए गए उत्पाद का नाम और उसकी प्रकृति और पैरामीटर। उस बीमाकर्ता का नाम, जिसका उत्पाद है।

(iii) उत्पाद के अधीन वार्षिक प्रीमियम की किसी विनिर्दिष्ट रकम के लिए उपलब्ध बीमा कवर, या इसके विपरीत, बीमा कवर की किसी विनिर्दिष्ट रकम मद्धे प्रभार्य प्रीमियम और लागू कर।

(iv) यथा-लागू कवर की परिधि, कवर होने वाले जोखिम, अपवर्जन, कटौतियां या फ्रेंचाइज़ी सह-संदाय, प्रीमियम पर भार/छूट, जोड़े गए कवर, शर्तें, अन्य निबंधन और फायदे, मध्यावधि समावेश, लघु अवधि के मापमान, बीमाकृत धनराशि का आधार, वारंटियां, खंड और पृष्ठांकन, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फख का अनुपालन –जोखिम के

प्रारंभ से पूर्व प्रीमियम का संदाय, आदि

(v) प्रमुख विशेषता दस्तावेज़(के.एफ.डी.) की अंतर्वस्तुएं, जब भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(vi) समस्त जीवन बीमा संविदाओं और क्रेडिट/डेबिट/अन्य कार्डों से बंधे कवर के अधीन पालिसी के निबंधनों से असहमति की दशा में पालिसी की प्राप्ति के तीस(30) दिन के भीतर और बीमाकर्ताओं द्वारा दूरस्थ पद्धति द्वारा प्रस्थापित तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि की सभी व्यक्तिगत दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा पालिसी संविदाओं के लिए, बशर्ते उस पालिसी पर इससे पहले कोई दावा न किया गया हो, पालिसी को रद्द करने का अधिकार।

(vii) भावी ग्राहक के अनुरोध पर याचित उत्पाद पर उपलब्ध कमीशन की दरों का प्रकटन।

**(ज) जीवन बीमा के विक्रय की दशा में प्रीमियम की अधिकतम सीमा:**

(i) आई.डब्ल्यू.ए., टेलीमार्केटिंग पद्धति द्वारा(आवाज़ तथा एस.एम.एस.) 2000 अमरीकी डॉलर से अधिक वार्षिक प्रीमियम के लिए गैर-एकल प्रीमियम प्रकार की पालिसियों की याचना नहीं करेगा;

(ii) टेलीमार्केटिंग पद्धति द्वारा 2000 अमरीकी डॉलर से अधिक के प्रीमियम के लिए एकल प्रीमियम पालिसियों की याचना नहीं की जाएगी।

**11. याचना-पश्चात् प्रक्रिया:** एक बार जब भावी ग्राहक किसी पालिसी का क्रय करने के लिए सहमत हो जाता है तो प्रस्थापना पत्र और प्रीमियम स्वीकार्यता में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा:-

(क) पालिसी के मद्धे प्रीमियम को, आर.बी.आई. द्वारा विहित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए, ऑनलाइन या इंटरैक्टिव आवाज़ प्रत्युत्तर माध्यम से या हस्तगत संग्रहण के माध्यम से डेबिट किया जा सकेगा;

(ख) दूरस्थ मार्केटिंग पद्धति द्वारा किसी पालिसी का विक्रय करने की प्रक्रिया में, ए.एम.एल. और पैन के संबंध में बीमाकर्ताओं को लागू मानदंडों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है;

(ग) ऐसे सभी दृष्टांतों में, जहां प्रस्थापना को भौतिक रूप में प्राप्त किए बिना कोई पालिसी जारी की जाती है वहां बीमाकर्ता पालिसी बंधपत्र के साथ, की गई पृष्ठताछ और उसके बारे में दिए गए उत्तरों के आवाज़/इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की मौखिक प्रतिलिपि अग्रेषित करेगा, जिसके आधार पर पालिसी निम्नांकित की गई है;

(घ) दूरस्थ पद्धति द्वारा याचित/विक्रीत पालिसियों के लिए, बीमाकर्ता पालिसियां ठीक उसी प्ररूप और माध्यम में जारी करेगा, जैसा कि भौतिक इंटरफेस के माध्यम से विक्रय में होता है;

(ङ) पालिसीधारक द्वारा सेवा संबंधी आवश्यकता या शिकायत की दशा में उसके द्वारा संपर्क किए जाने वाले कार्यालय का पता और टोलफ्री नंबर ग्राहक को सूचित किया जाएगा;

(च) प्राधिकृत सत्यापनकर्ता, विक्रय पूरा होने से पूर्व भावी ग्राहक को अपना नाम और सुभिन्न कोड बताएगा और यह भावी सत्यापन के लिए रिकार्डिड बातचीत का भाग गठित करेगा;

(छ) किसी आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा की गई ऐसी प्रत्येक कॉल और भेजे गए ऐसे प्रत्येक एस.एम.एस. से संबंधित अभिलेख, जो पालिसी में परिणत होते हैं, बीमाकर्ता के अवस्थान पर विक्रय के पूरा होने के तीस(30) दिन के भीतर अंतरित किया जाएगा। टेलीफोन कॉलों की दशा में, अंतरित किया गया अभिलेख, संपूर्ण बातचीत की रिकार्डिंग होगी।

**12. बीमा कवर से कोई अनुचित इनकारी नहीं:** जब कोई भावी ग्राहक किसी आई.डब्ल्यू.ए. से दूरस्थ पद्धति द्वारा बीमा कवर की प्रस्थापना करने के लिए संपर्क करता है तो पश्चात्कर्ती मामले पर गुणागुण के आधार पर और विनियामक निदेशों और उनके अपने मानदंडों के अनुसार विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वे किसी भी दशा में किसी ऐसे भावी ग्राहक को,

जो बीमे की ईप्सा करता है, कवर देने से अनुचित इनकारी का अवलंब नहीं लेंगे।

### 13. अभिलेखों का परिरक्षण:-

बीमाकर्ता और आई.डब्ल्यू.ए., बीमे की लीड तैयार करने/याचना करने से शुरू होने और विक्रय पूरा होने तक समाप्त होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का आवाज़/इलैक्ट्रॉनिक/भौतिक अभिलेख, जो भी लागू हो, पालिसी की अवधि से परे छह(6) मास की अवधि के लिए या दावे का संतोषप्रद परिनिर्धारण होने तक या दस(10) वर्ष की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो, किसी अपरिवर्तनीय और आसानी से पुनःप्राप्य रूप में परिरक्षित रखेंगे। आवाज़ और इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को डिजिटलीकृत किया जाएगा और डाटा की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भंडारण के लिए इन्क्रप्टीकृत किया जाएगा।

### 14. सत्यापन प्रक्रिया:-

(क) आई.डब्ल्यू.ए. कॉलों को, कम से कम 1 प्रतिशत कॉल को सुनने की व्यवस्था करके, जैसे वे कॉल आती हैं, लाइव मानिटर करेगा;

(ख) आई.डब्ल्यू.ए., कॉल रिकार्डिंग सुनने के लिए समर्पित कर्मचारियों की एक टीम नियोजित करके कम से कम 3 प्रतिशत ऐसी कॉलों को अनुपालन के लिए सत्यापित करेगा जिनकी परिणति विक्रय में होती है। सत्यापन के अनुक्रम में किए गए प्रेक्षणों को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी पुनःप्राप्य रूप में परिरक्षित रखा जाएगा;

(ग) बीमाकर्ता, विक्रय की क्वालिटी को मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक मास कम से कम 3 प्रतिशत ऐसे पालिसीधारकों को, जो दूरस्थ मार्केटिंग पद्धति द्वारा बीमे का क्रय करते हैं, सत्यापन कॉल करेगा। सत्यापन कॉल करने का प्रयोजन यह अभिनिश्चित करना है कि क्या भावी ग्राहक ने क्रय किए गए उत्पाद के फायदों, विशेषताओं और प्रकटनों को सही तौर पर समझ लिया है;

(घ) सत्यापन कॉल के लिए भी एक मानकीकृत आलेख होगा और उन कॉलों का अभिलेख, (क) साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की दशा में, पालिसी की तारीख से पन्द्रह (15) मास तक या दावे का संतोषप्रद परिनिर्धारण होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो, (ख) जीवन बीमा पालिसियों की दशा में कम से कम तीन वर्ष के लिए परिरक्षित रखा जाएगा;

(ङ) ऊपर (ख) और (ग) के अधीन पालिसियों का चयन, यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद के प्रत्येक प्रवर्ग और विक्रय की पद्धति को शामिल किया जाए, रैंडम पैटर्न के अनुसार किया जाएगा।

### 15. अनुपालन का प्रमाणन:-

प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. का प्रधान अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि आई.डब्ल्यू.ए. ने वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त सभी अनुदेशों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

### 16. विवाद:-

इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, बीमे की संविदा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत "प्रमुख विशेषता दस्तावेज़" या "के.एफ.डी." और भावी ग्राहक को उत्पाद से संबंधित की गई कॉलों के अभिलेख की अंतर्वस्तु आती है। ऐसे विवादों की दशा में, जिनमें पालिसी की विनिर्दिष्ट शब्दावली अंतर्वलित हो, ग्राहक के पास पालिसी की विनिर्दिष्ट शब्दावली के मुकाबले के.एफ.डी. और कॉलों की शब्दावली को प्राथमिकता देने का अधिकार होगा।

**अनुसूची-14****[विनियम 3(1)(ज) और विनियम 23 देखिए]****1. वे बीमा ऑउटसोर्सिंग सेवाएं, जो आई.डब्ल्यू.ए. द्वारा ली जा सकती हैं**

(क) इसमें उल्लिखित बीमा के क्रियाकलापों की ऑउटसोर्सिंग पर बीमाकर्ताओं का विवेकाधिकार होगा। तथापि सेवाओं का निष्पादन, बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला मुख्य क्रियाकलाप बना रहेगा;

(ख) बीमाकर्ताओं और आई.डब्ल्यू.ए. के बीच बीमा ऑउटसोर्सिंग संबंध बीमाकर्ता और आई.डब्ल्यू.ए. के बीच उन लिखित संविदाओं द्वारा शासित होंगे, जिनमें बीमा ऑउटसोर्सिंग करार के सभी तात्विक पहलु वर्णित हैं, जिसके अंतर्गत सेवाओं के लिए प्रभार, सभी पक्षकारों के अधिकार, उत्तरदायित्व और प्रत्याशाएं भी हैं।

**2. वे क्रियाकलाप जिन्हें बीमाकर्ता द्वारा आई.डब्ल्यू.ए. को ऑउटसोर्स किया जा सकता है:**

कोई आई.डब्ल्यू.ए., बीमाकर्ताओं की ओर से टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ मार्केटिंग पद्धतियों द्वारा बीमा ऑउटसोर्सिंग क्रियाकलाप कर सकता है।

**अनुसूची-15****[विनियम 4(5) देखिए]****आई.डब्ल्यू.ए. की बाध्यताएं****आई.डब्ल्यू.ए.:-**

- (1) अपनी वेबसाइट पर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के ब्यौरों को प्रदर्शित करेगा;
- (2) वेबसाइट के होम पेज पर उन बीमाकर्ता के नामों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा, जिनके साथ उसका लीडों को निर्देशित(रैफर) करने का करार है;
- (3) अपनी अभिहित वेबसाइट पर उन उत्पादों की सूची प्रदर्शित करेगा जो जानकारी के लिए उपलब्ध हैं;
- (4) यह विनिर्दिष्ट जानकारी प्रदर्शित करेगा कि उन भावी ग्राहकों के ब्यौरे, जो उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, बीमा पालिसियों की याचना करने के प्रयोजनों के लिए बीमाकर्ताओं के साथ साझा किए जाएंगे;
- (5) अपनी अभिहित वेबसाइट पर, जब तक प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात न किया गया है, किसी तीसरे पक्षकार की सेवाओं या उत्पादों का संवर्धन नहीं करेगा;
- (6) किसी तीसरे पक्षकार को अपने ग्राहकों को आई.डब्ल्यू.ए. की वेबसाइट पर भेजने की तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात न किया गया हो;
- (7) टेलीमार्केटर के रूप में रजिस्टर कराएगा, यदि टेलीमार्केटिंग का कार्य करने की वांछा करता है;
- (8) एक प्रभावी लीड प्रबंधन प्रणाली रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लीड को एल.एस.एस. प्रणाली के माध्यम से अभिलिखित और मॉनीटर किया जाए;
- (9) बीमाकर्ता के साथ करार के अधीन अपने क्रियाकलापों का अभिलेख और रिपोर्टें, बीमाकर्ता और आई.डब्ल्यू.ए. के बीच किए गए करार में विनिर्दिष्ट रीति में रखेगा;
- (10) अपने कर्मचारियों सहित(चाहे उनका पदनाम कुछ भी हो) बीमा अधिनियम, 1938, आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के सभी उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए



गए निदेशों का अनुपालन करेगा;

(11) बीमाकर्ता से स्वयं को या अपने कर्मचारियों या संप्रवर्तकों के माध्यम से इन विनियमों के विनियम 26 में विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक से भिन्न कई संदाय स्वीकार नहीं करेगा;

(12) निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन लेगा:-

(क) प्रधान अधिकारी में परिवर्तन;

(ख) यथास्थिति, निदेशक/या अभिहित भागीदार में परिवर्तन;

(ग) कंपनी के नाम में परिवर्तन;

(घ) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/कारपोरेट/प्रधान कार्यालय में परिवर्तन;

(ङ) आई.डब्ल्यू.ए. के प्रमुख क्रियाकलापों के लिए सेवा प्रदाताओं या पर-व्यक्ति विक्रेताओं को नियोजित करने के लिए, जैसे, किन्तु यहां तक सीमित नहीं है:

(i) लीड प्रबंधन प्रणाली

(ii) वैबहोस्टिंग

(iii) अन्य प्रमुख क्रियाकलाप

(च) आई.डब्ल्यू.ए. की वैबसाइट(वैबसाइटों को होस्ट करने वाले सर्वर के अवस्थान में परिवर्तन

13 ऐसी कोई अन्य बाध्यताएं, जैसा प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाए।

### अनुसूची-16

#### [विनियम 4(5) देखिए]

आई.डब्ल्यू.ए. के लिए आचार संहिता:-

1. ग्राहकों से संबंध से संबंधित विषयों में आचरण: प्रत्येक आई.डब्ल्यू.:-

(क) भावी ग्राहकों/पालिसीधारकों के साथ अपने व्यवहार सर्वदा सर्वोत्तम सद्भाव और सत्यनिष्ठा से करेगा;

(ख) सावधानी और तत्परता से कार्य करेगा;

(ग) भावी ग्राहकों द्वारा प्रदत्त की गई समस्त जानकारी को उनके लिए और बीमाकर्ता(बीमाकर्ताओं) के लिए, जिसे कारबार दिया जा रहा है, पूर्णतः गोपनीय मानेगा;

(घ) उन दस्तावेजों की, जो उनके कब्जे में हैं, सुरक्षा बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाएगा;

(ङ) जिस ग्राहक से वह व्यवहार कर रहा है उसके प्रकार को और जोखिम और बीमा के बारे में ग्राहक की जागरूकता की सीमा को समझेगा;

2. शिकायतों को निपटाने के संबंध में आचरण: प्रत्येक आई.डब्ल्यू.:-

(क) शिकायतों को लेखबद्ध करने और उन्हें मानिटर करने के लिए एक उचित प्रणाली रखेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि वैबसाइटों में शिकायत निवारण प्रक्रिया के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों और शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शिकायत लॉग करने की सुविधा प्रदान की गई हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की लिखित/फोन/फैक्स/ईमेल/मैसेज आदि किसी भी प्ररूप की संसूचना को तुरंत अभिस्वीकार किया जाए और किसी भी दशा में ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच (5) कार्य दिवस से अधिक समय नहीं लगेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत का समाधान ग्राहक के संतोषप्रद रूप में किया जाए;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत का समाधान होने पर शिकायतकर्ता को संसूचना भेजी जाए और शिकायतकर्ता को उसे उपलब्ध अतिरिक्त निवारण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति के स्तर पर कार्यवाही की जाए।

**3. विज्ञापन से संबंधित विषयों में आचरण:** प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. यह सुनिश्चित करेगा कि अभिहित वेबसाइट पर ऐसा कोई विज्ञापन या ऐसी कोई जानकारी न हो, जो इन विनियमों के विनियम 27 के अधीन प्रतिषिद्ध है;

**4. पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित विषयों में आचरण:** प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए., यदि किसी भावी ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाए तो, पारिश्रमिक या ऐसे अन्य पारिश्रमिक की रकम प्रकट करेगा, जो वह उस ग्राहक के लिए बीमा प्रभावशाली करने के फलस्वरूप प्राप्त करता है।

**5. प्रशिक्षण से संबंधित विषयों के संबंध में आचरण:** प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए.:-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टॉफ उन मानकों से भिन्न हैं और उनका पालन करते हैं जिनकी इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशा की गई है;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉफ, सक्षम, उपयुक्त हैं और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टॉफ द्वारा दी गई सलाह की क्वालिटी को मॉनीटर करने लिए उचित प्रणाली है;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉफ के सदस्य विधिक अपेक्षाओं से, जिसके अंतर्गत उनके क्रियाकलापों को प्रभावशील बनाने वाली एजेंसी की विधि भी है, भिन्न हैं; और वे केवल उन्हीं वर्गों के कारबार को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;

(ङ) ग्राहक का ध्यान बीमा अधिनियम की धारा 41 के प्रति आकृष्ट करेगा जिसमें रिबेट देने और कमीशन/पारिश्रमिक को बांटने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

**6. प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. ऐसे प्रत्येक कार्यालय में, जहां वह कारबार चला रहा है और जहां तक जनता की पहुंच है, इस आशय का नोटिस प्रदर्शित करेगा कि आचार संहिता की एक प्रति अनुरोध करने पर उपलब्ध है और यदि जनता का कोई सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है या उसे किसी विवाद का समाधान करने के लिए प्राधिकरण की सहायता अपेक्षित है तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।**

**7. प्रत्येक आई.डब्ल्यू.ए. प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में ऐसे समय के भीतर, जो प्राधिकरण वांछा या विनिर्दिष्ट करे, विवरणियां प्रस्तुत करेगा।**

## INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

### NOTIFICATION

Gandhinagar, the 31st January, 2022

International Financial Services Centres Authority (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022

**IFSCA/2021-22/GN/REG021.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, section 42D and 42E of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -

**CHAPTER- I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement:**

- (a) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022.
- (b) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Objective:**

These regulations aim to put in place a process of registration and operations of Insurance Web Aggregator in an International Financial Services Centre under the regulatory purview of the International Financial Services Centres Authority.

**3. Definitions:-**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the same meaning as assigned to them below and their cognate expressions shall be construed accordingly:
  - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
  - (b) “Agreement” means an agreement entered between an Insurance Web Aggregator and an Insurer;
  - (c) “Applicant” means: –
    - (i) an Insurance Web Aggregator registered with IRDAI;
    - (ii) an Insurance Broker registered with the Authority under the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021;
    - (iii) a company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
    - (iv) A limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
    - (v) Any other person permitted by the Authority to act as an Insurance Web Aggregator.

*Explanation:* A body corporate incorporated outside India can form a company or limited liability partnership for making an application under these regulations.

- (d) “Authorized Verifier” means a person employed by the Insurance Web Aggregator for insurance solicitation and procurement through telemarketing and distance marketing mode;
- (e) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under section 4 (1) of the Act;
- (f) “Designated Website” for the purpose of these regulations means an exclusive website with domain name registered, owned by and used for the functions of the IWA;
- (g) “Distance Marketing” means the process of solicitation or sale of insurance products where the consumer is physically not present at the point of solicitation or sale or the conclusion of the sale, and the process is carried out through telephone or Short Messaging Service (SMS) or e-mail or Internet or web services;
- (h) “Insurance Outsourcing” for the purpose of these regulations means the activities, specified in SCHEDULE -14, which can be outsourced by the Insurers to an IWA;

- (i) “Insurer” for the purpose of these regulations means IFSC Insurance Office (IIO) registered under the IFSCA (Registration of Insurance Companies) Regulations, 2021;
  - (j) “Insurance Web Aggregator” or “IWA” means an insurance intermediary registered by the Authority under these regulations to assist a prospect in purchasing an insurance policy, using a website or portal maintained by IWA;
  - (k) “IRDAI” means Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
  - (l) “Key Management Personnel” or “KMP” means Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Head-Technical, Head- Information Technology or such other personnel as specified by the Authority;
  - (m) “Lead” means information pertaining to a person who has accessed the website of an IWA and has submitted contact information of any kind for obtaining information on prices or features or benefits of insurance products;
  - (n) “Lead Generation” means the process of collecting the details of the prospects to ascertain their intention to purchase insurance policy, before proceeding with solicitation of insurance products;
  - (o) “Lead Management System” or “LMS” refers to the Software implemented by the IWA for recording, filtering, validating, grading, distributing, following up and closing the leads from the enquiries received on the website of the Insurance Web Aggregator;
  - (p) “Principal Officer” means —
    - (i) the Chief Executive Officer of an IWA;
    - (ii) a Director / Partner or any other person, who has been entrusted with the responsibility to comply with these regulations; or
    - (iii) an employee of the IWA who is responsible for the decisions made by such IWA in IFSC for its management, administration and operations;
  - (q) “Solicitation” for the purpose of these regulations means approaching a prospect by an insurer or an IWA with a view to convince the prospect to purchase an insurance policy;
  - (r) “Telemarketer” for the purpose of these regulations means an entity registered with Telecom Regulatory Authority of India under Chapter III of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010;
  - (s)
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder, shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

**CHAPTER – II**  
**Registration of IWA**

**4. Eligibility criteria for registration as IWA**

The Authority while considering an application for grant of registration as IWA shall take into account all matters which are necessary for carrying out the functions of the IWA, including but not limited to the compliance with the following conditions, namely:-

- (1) the Applicant, its Directors, Designated Partners, Key Managerial Personnel, Principal Officer or Authorized Verifier are not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (2) the Memorandum of Association of the company, limited liability partnership agreement of the LLP or incorporation documents of Applicant shall mention the 'business of web aggregation of Insurance Products' as one of its main object;
- (3) the Applicant is not engaged in any business other than Web Aggregation of Insurance Products or Insurance Broking;
- (4) the Authorized Verifier has undergone the prescribed training and passed the examination as specified by the Authority;
- (5) the IWA has not violated any of the obligations as specified in SCHEDULE – 15 and the Code of Conduct as specified in SCHEDULE – 16;
- (6) the Applicant has the necessary infrastructure viz. adequate office space, equipment, trained and dedicated manpower and IT infrastructure to effectively discharge its business activities;
- (7) the Applicant or any person, directly or indirectly connected with the Applicant, has been refused any certificate or license by the Authority in the past or the Applicant or any person, directly or indirectly connected with the Applicant, has withdrawn such application during the preceding financial year from the date of application;

*Explanation:—* For the purposes of this sub-regulation, the expression "directly or indirectly" connected" means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the Applicant. All these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013)

- (8) the Principal Officer/ Director(s)/ Promoter(s)/ Partner(s)/Designated Partners/Key Management Personnel/ Controlling Shareholders are in compliance with the fit and proper requirements as specified by the Authority;
- (9) the Promoters/ Investors/ Partners/Designated Partners/Controlling Shareholders of the Applicant are:
  - (a) of sound financial position to make investment in the Applicant; and
  - (b) from a FATF compliant jurisdiction or country;
- (10) the Applicant has submitted an undertaking to the effect that -
  - (a) it does not have a referral arrangement with any of the Insurer;
  - (b) it does not have conflict of interest of any kind between the interests of policyholders and the business of its group entities engaged in insurance intermediation

- (c) it has a designated website hosted on a sever based in India for carrying out IWA business;
  - (d) it shall always maintain the Capital and Net Worth requirements as specified in regulation 8 of these regulations to the satisfaction of Authority;
  - (e) it shall, at all times during the currency of the certificate of registration, comply with the requirements specified in regulation 6 of these regulations;
  - (f) it shall appoint Principal Officer, who shall be responsible for day-to-day affairs or conduct of the IWA; and other qualified personnel with necessary qualification and experience, as may be specified by the Authority;
  - (g) its Principal Officer/ Director(s)/ Promoter(s)/ Designated Partners/ Key Management Personnel/ Controlling Shareholders are fit and proper persons.
- (11) an Applicant who is registered as an Insurance Web Aggregator with IRDAI and desirous of setting up branch office in an IFSC, shall meet with the following additional requirements:
- (a) It holds a valid certificate of registration issued by IRDAI, which is not withdrawn, cancelled or suspended; and
  - (b) It has obtained a “No-objection Certificate” from IRDAI to establish branch office in the IFSC.
- (12) the Authority may specify such additional eligibility conditions as it may deem fit.

#### **5. Consideration of application –**

- (1) the Applicant desirous of operating as an IWA in an IFSC shall submit an application form to the Authority in the format specified in SCHEDULE – 1, along with the application fees as specified by the Authority.
- (2) the application form shall be accompanied with the documents as specified in SCHEDULE - 2 in such manner and within such period, as may be specified by Authority.
- (3) the Applicant seeking permission for carrying out Insurance Outsourcing or Insurance Telemarketing activities shall mention the same specifically in the application form.
- (4) the Authority may require an Applicant to furnish any additional information and/or clarification and/or documents, as it may deem necessary for consideration or processing of the application.
- (5) the Applicant shall forthwith bring to the notice of the Authority, on its own, such further information and/or clarification, which might have a bearing on consideration of its application.

#### **6. Conditions for grant of registration–**

The registration or the renewal of registration granted to IWA shall, *inter-alia*, be subject to the following conditions that:

- (1) IWA shall exclusively carry on the business for which the registration has been granted and in the manner as specified in these regulations;
- (2) IWA shall comply with the provisions of the Insurance Act, 1938, IFSCA Act, 2019, applicable laws and any other instructions issued thereunder from time to time by the Authority;

- (3) IWA shall comply with relevant Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) guidelines, as may be issued by the Authority from time to time.
- (4) IWA shall forthwith inform the Authority in writing, if any information submitted for renewal of application or particulars of any previously submitted information are found to be false or misleading and shall also inform if there is any material change in the information already submitted;
- (5) IWA shall take adequate steps for redressal of grievances of its policyholders within 14 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such policyholders in format and manner as may be specified by the Authority;
- (6) IWA shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with its resources and the number of Authorized verifiers engaged by them;
- (7) IWA shall under no circumstance undertake multi-level marketing for solicitation and procuring insurance business;
- (8) IWA shall comply with the Code of Conduct as specified in the SCHEDULE – 16;
- (9) IWA shall maintain such records and books of accounts as specified in these regulations;
- (10) IWA shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise and Authorized Verifier-wise details wherein each policy solicited by the IWA through the Authorized Verifier is tagged to that Authorized Verifier. The IWA shall put in place systems which allow regular access to such records and details by the Authority;
- (11) the Authority may impose such additional conditions as it may deem fit.

## 7. Procedure for issuance of Certificate –

- (1) The Authority on being satisfied that the Applicant fulfils the eligibility as specified under regulation 4, shall at first instance issue an in-principle approval to the Applicant for compliance with requirements viz, minimum capital infusion, training requirements of principal officer, professional indemnity policy and such other requirements as may be deemed necessary by Authority for issuance of Certificate within a period of forty five (45) days from the date of such in-principle approval.

*Provided* that if an applicant is not able to comply with such requirements within the specified period of forty-five (45) days, it can, before expiry of such period, but at least seven (7) days in advance, shall make an application, for extension of time, to the Chairperson of the Authority.

*Provided further* that on receipt of the application, the Chairperson of the Authority, shall examine it and communicate the decision thereon, in writing;

*Provided also* that no extension of time shall be granted by the Chairperson of the Authority beyond ninety (90) days from the date of such in-principal approval.

- (2) The Authority on being satisfied with the compliance under sub-regulation (1) and also the compliance required to be fulfilled under the provisions of the Act, applicable rules, regulations, circulars and guidelines may issue a Certificate of Registration in the format specified in SCHEDULE - 3 stating thereof category for which registration is granted.

- (3) The Certificate of Registration granted under sub-regulation (2) shall be valid for a period of three (3) years from the date of its issuance unless revoked or cancelled by the Authority.

*Provided* that the certificate granted for the first time by the Authority for setting up branch office in an IFSC, shall be valid till the expiry of the certificate of registration issued by the IRDAI and thereafter for a period co-terminus with the expiry of the certificate of registration issued by the IRDAI.

- (4) If the Authority, after considering the application is of the opinion that registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant in writing, giving it thirty (30) days' time to rectify them.
- (5) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons in writing for such refusal.

*Provided* that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

- (6) An IWA shall commence business for which it has been granted registration, within a period of six (6) months from the date of grant of Certificate of Registration by the Authority;

*Provided* that if an IWA is not able to commence business within the specified period of six (6) months, it can, before expiry of such period, but at least thirty (30) days in advance, shall make an application, for extension of time, to the Chairperson of the Authority;

*Provided further* that on receipt of the application, the Chairperson of the Authority, shall examine it and communicate the decision thereon, in writing;

*Provided also* that no extension of time shall be granted by the Chairperson of the Authority beyond nine (9) months from the date of grant of certificate of registration.

## **8. Capital / Net-worth Requirement –**

- (1) An Applicant seeking registration as an IWA shall maintain minimum paid-up share capital or contribution, as the case may be, of USD 30,000 (USD Thirty thousand only) and net-worth equal to 100% of the minimum paid-up share capital / contribution;

*Provided that* an Applicant desirous of setting up a branch, shall maintain the capital of USD 3000 (USD Three thousand only), which shall be earmarked and held by the Applicant. in the country of its incorporation and keep invested as per the requirements of its home country regulatory or supervisory authority.

*Provided further* that where the Applicant is in a form other than company, the paid-up capital shall be maintained in such form and manner as specified by the Authority.

- (2) In case the Applicant is a company limited by shares, the capital shall be in the form of paid-up equity shares;
- (3) The investment in the Applicant by the promoters/ shareholders/ partners shall be from their owned funds and minimum paid-up share capital or contribution as specified in sub-regulation (1) shall, at all times, be free from all encumbrances;

*Explanation:* For the purpose of these regulations, owned funds do not include funds arranged by way of borrowings or loans or any arrangements which may in future constitute a debt.



- (4) In case of shortfall in the net worth, the IWA shall immediately restore the same and report compliance of the same;

*Provided* that where the IWA is in a form other than company, the “net-worth” shall be as specified by the authority.

*Explanation:* For the purposes of these regulations, “net worth” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013.

- (5) The IWA shall submit to the Authority a certificate issued by its statutory auditor or Practising Chartered Accountant or Practising Company Secretary or Practising Cost and Management Accountant, regarding paid-up capital and net-worth requirements under these regulations on half yearly basis.

### Chapter - III

#### Renewal of Registration of IWA

#### 9. Renewal of Certificate of Registration -

- (1) The application for renewal of certificate of registration, along with renewal fee as specified by the Authority, shall be submitted by the IWA in the format specified in SCHEDULE - 4 at least ninety (90) days before the expiry of the certificate of registration. The indicative list of documents to be submitted along with renewal application are specified in SCHEDULE - 5;

*Provided* that the IWA shall pay applicable additional fee by way of penalty, if the renewal application does not reach the Authority thirty (30) days prior to the date on which the earlier certificate of registration ceases to remain in force, but reaches before the date on which such certificate ceases to remain in force;

*Provided* further that an application for renewal of registration may be considered if the application is filed within a period of sixty (60) days from the date on which the registration ceases to remain in force along with the applicable additional fee by way of penalty, and the Authority is satisfied with the reasons for delay and have condoned the same.

*Provided* also that a renewal application received after sixty (60) days from the date on which the registration ceases to remain in force will be considered only after a lapse of twelve (12) months from the date of submission of the such renewal application. However, during the interregnum, the certificate of registration earlier granted to the IWA shall cease to exist and it shall not solicit any new business, except servicing the existing policies till the expiry of the contract.

- (2) The provisions of regulations 6, 7 and 8 as applicable to the grant of certificate of registration shall also apply *mutatis-mutandis*, to an application for renewal of certificate of registration of an IWA.
- (3) An IWA whose certificate of registration has expired and is pending for renewal, shall not engage in any fresh insurance business except for servicing the existing policyholders till the renewal of registration.
- (4) The Principal Officer and Authorized Verifier of an IWA shall complete the requisite training as may be specified by the Authority, prior to seeking renewal of Certificate of registration.
- (5) The Authority shall, on being satisfied that the Applicant fulfils all the conditions for renewal of the certificate of registration, issue the certificate of renewal of registration in the format specified in SCHEDULE - 6, for a further period of three (3) years.
- (6) In case the certificate of registration is cancelled or surrendered or whose renewal is rejected by the Authority, the Applicant may file a fresh application for registration only after one (1) year from the date when such cancellation/surrender/refusal of renewal has become effective.

**10. Procedure where renewal of certificate of registration is not granted –**

- (1) If, the Authority, after considering the application for renewal of certificate of registration, is of the opinion that registration earlier granted to the Applicant should not be renewed, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty (30) days' time to rectify them.
- (2) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to renew the certificate of registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons in writing, for such refusal.

*Provided* that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the application for renewal of certificate of registration is proposed to be refused.

**11. Effect of refusal to renew the certificate of registration –**

- (1) The Applicant, whose renewal has been refused by the Authority, shall, on and from the effective date mentioned in the communication from the Authority, cease to act as an IWA.
- (2) The IWA, whose renewal has been refused by the Authority, shall continue to be responsible to provide services in respect of contracts already entered through it.

*Provided* that such services shall continue only up to the period of expiry of existing contracts or for a maximum period of six (6) months from the date of refusal, whichever is earlier, within which time, suitable arrangements shall be made by IWA for having the contracts attended to by another registered IWA for same category.

- (3) The Authority may seek the details of such arrangements as and when required.

**Chapter - IV****CORPORATE GOVERNANCE, OPERATIONS AND MANAGEMENT****12. Amalgamation and Transfer of business:-**

No IWA shall undertake any scheme of amalgamation, merger, acquisition, or transfer of business, whether wholly or partly, without the prior approval of the Authority.

**13. Change in Ownership and Control -**

The change in ownership and control of Promoters/ Partners/Designated Partners/Controlling Shareholders in the IWA shall be carried out only in such manner and form as may be specified by the Authority.

**14. Policy for solicitation of insurance products –**

- (a) Every IWA shall have a policy regarding manner of soliciting insurance products, which shall be approved by its Board or equivalent body.
- (b) Such approved policy, *inter-alia*, shall also include the approach to be followed by the IWA in having multiple tie-ups, comparison and distribution of products, type of products to be sold, mode of solicitation, grievance redressal mechanism, reporting requirements and any other requirement with regard to different business segments, and shall be reviewed at least once in three (3) years by its Board or its equivalent body.

**15. Professional indemnity insurance –**

Every IWA shall purchase and maintain at all times, a professional indemnity insurance cover in the manner as specified in SCHEDULE – 7.

**16. Arrangements with insurers for distribution of products: -**

- (1) An IWA shall not make any arrangement with the insurers which are against the interest of prospects and policyholders;
- (2) The arrangements between the IWAs and the insurers for distribution of products shall be such as may be specified by the Authority;

**17. Conflict of interest –**

While soliciting and procuring the insurance business, the IWA shall, at all times, avoid conflict of interest and ensure that -

- (a) in case it has tie-ups with more than one insurer in a particular line of business, it shall display to the prospects, the list of insurers with whom it has arrangements to distribute the products and provide them with the details such as scope of coverage, term of policy, premium payable, premium terms and any other information of all the products available with it and in all cases shall avoid conflict of interest;
- (b) the product it proposed to sell, is based on the need analysis of the prospect.

**18. Maintenance of books of account, records, etc. –**

- (1) An IWA shall prepare and maintain following financial statements for every financial year –
  - (a) A balance sheet at the end of each financial year;
  - (b) A profit and loss account for that period, which shall be maintained on accrual basis; and
  - (c) A statement of cash/fund flow (direct method).

*Explanation:* For the purpose of these regulations, the financial year shall refer to a period of twelve (12) months commencing from 1<sup>st</sup> April and ending on the 31<sup>st</sup> March.

- (2) Financial statements shall include a note providing the insurer-wise (including insurer's group companies) details of all the incomes received by it and also the details of payments received by it from its group companies, associates, and related parties.
- (3) An IWA shall make disclosures of all related party transactions in its audited accounts and balance sheet, and shall ensure arm's length principle for all such financial transactions;
- (4) An IWA shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements referred to in sub-regulation (1) along-with the auditor's report thereon, *inter-alia*, containing the remarks or observations of the auditor, if any, on the conduct of the business, statement of accounts, etc., and a suitable explanation on auditor's observations/remarks from the IWA, within thirty (30) days of holding of the annual general meeting or before 30<sup>th</sup> September every year, whichever is earlier.

- (5) An IWA shall, within ninety (90) days from the date of the Auditor's report take steps to rectify the deficiencies, if any, mentioned in the auditor's report and inform the Authority accordingly.
- (6) An IWA shall submit any other statements, reports, certificates, information or documents as may be desired by the Authority from time to time.
- (7) All the books of account, documents, statements, contract notes etc., referred to in these regulations shall be maintained and retained at the office of the IWA in an IFSC, for a period of at least ten (10) years from the end of the year to which they relate and shall be made available for inspection to the Authority at all times.

*Provided that*, the books of account, documents, statements, contract notes etc. pertaining to the cases where claim is reported and the matter is *sub-judice*, shall be maintained till the disposal of the cases.

*Provided also* that unless otherwise required in any other law for the time being in force, all such books of account, documents, statements, contract notes etc. may be maintained in non-editable electronic retrieval form.

- (8) Every IWA shall maintain the following insurer-wise records;
  - (a) Leads generated, transmitted, converted into policies and remuneration received therefrom;
  - (b) Products displayed on the website for comparison;
  - (c) Remuneration received for Products displayed;
  - (d) Remuneration received from Insurance Outsourcing activities;
  - (e) Any other remuneration received (mention details);
  - (f) Know Your Client (KYC) records of the client, as required under the relevant guidelines related to the Prevention of Money Laundering;
  - (g) Copy of the proposal form duly signed electronically by the client and submitted to the insurer;
  - (h) A document containing list of clients, details of policy viz. type of policy, premium amount, date of issuance, charges or fees received;
  - (i) A document containing details of complaints received and disposed which shall, *inter-alia* include name of the complainant, nature of complaint, details of policy issued/solicited and action taken thereon;
  - (j) Correspondence exchanged with the Authority;
  - (k) Any other document or information as may be specified by the Authority from time to time.

## CHAPTER - V

### Functions of IWAs

#### 19. Display of product comparison on IWA web-site –

An IWA shall display the product comparison on its website in such manner as specified in SCHEDULE -11.

#### 20. Transmission of leads to the Insurers:

The manner of sharing of leads by the IWA with the insurers shall be as specified in SCHEDULE - 12.

**21. Online Sale of Insurance –**

The manner and process of online sale of Insurance shall be in compliance with guidelines as may be specified by the Authority.

**22. Sale of Insurance by tele-marketing or other distance marketing modes:-**

IWA may use the Telemarketing / Distance Marketing modes for solicitation of Insurance, based on the leads generated from its website, as per the instructions specified in SCHEDULE – 13.

**CHAPTER - VI**  
**Remuneration**

**23. Remuneration to the IWA-**

- (1) Any remuneration, reward or fee, by whatever name called, payable by an Insurer to an IWA shall be in such mode and manner as specified by the Authority.
- (2) An Insurer shall pay the remuneration, reward or fee to an IWA in accordance with the following:-
  - (a) No charges shall be paid for transmission of leads by the IWA to the Insurer;
  - (b) Leads which are converted into sale of insurance policies will entitle the IWA to earn remuneration as specified by the Authority;
  - (c) Mutually agreed flat fee towards each product displayed by the IWA in the comparison charts of its website subject to an overall ceiling as specified, if any, by the Authority;
  - (d) Service charges at mutually agreed rates fixed in the service agreements for undertaking Insurance Outsourcing functions;

**CHAPTER - VII**  
**Conduct of business of IWAs**

**24. Conduct of business of IWA-**

- (1) Scope of Operations:
  - (a) The IWA may, on behalf of an insurer, solicit direct insurance business for prospects in an IFSC, other SEZs in India or Indian Diaspora outside India;
  - (b) The IWA may, on behalf of an insurer, shall not solicit direct insurance business from the Domestic Tariff Area (DTA) in India except in accordance with Section 2CB of the Insurance Act;
  - (c) While solicitation and procurement of insurance business from Indian Diaspora outside India the IWA shall comply with the laws applicable to IWA in such jurisdiction;
  - (d) All financial transactions of the IWA shall be carried out in freely convertible foreign currency.
- (2) An IWA shall conduct the business in a fair and reasonable manner and shall abide by the -
  - (a) Obligations of the IWA as specified in SCHEDULE – 15; and.
  - (b) Code of conduct of the IWA as specified in SCHEDULE – 16. .
- (3) An IWA shall be responsible for all the acts of omission and commission of its principal officer and Authorized Verifier and other employees, including for the violation of code of conduct specified herein and shall be liable for appropriate action including imposition of monetary penalty.
- (4) An IWA shall comply with other duties and functions as specified in SCHEDULE - 10.
- (5) The IWAs shall make disclosures to the Authority as specified in SCHEDULE – 8.

**CHAPTER – VIII**  
**Miscellaneous**

**25. Role and Responsibilities of Authorized Verifier –**

The Authorized Verifier shall discharge such roles and responsibilities as specified in SCHEDULE – 9.

**26. Action in case of Default –**

If pursuant to an inspection or investigation or otherwise, the Authority is of the opinion that the operations of an IWA are not being conducted in accordance with the provisions of the Act, rules or regulations or circulars and guidelines issued thereunder or its activities are not in the interest of insurance business in the International Financial Services Centres, the Authority may take appropriate disciplinary action against it, including but not limited to suspension or cancellation of Certificate after giving an opportunity to the IWA, of making its written submissions.

**27. Powers to issue clarification and relaxation -**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications as deemed necessary and may relax any of the conditions mentioned in these regulations, for reasons to be recorded in writing.

INJETI SRINIVAS, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./624/2021-22]

**SCHEDULE - 1**  
[Refer Regulation 5 (1)]

**FORM – A**

**APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATON AS AN IWA**

**Instructions for filling up the form:**

- 1) Applicants must submit a duly completed application form together with supporting documents to the Authority.
- 2) Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

**1. PARTICULARS OF THE APPLICANT**

- 1.1 Name of the Applicant: \_\_\_\_\_
- 1.2 Address – Principal Place of business / Registered Office.

Pin/Zip Code	Email
Tel No	Fax No

## 1.3 Address for Correspondence:

Pin/Zip Code	Email
Tel No	Fax No

## 1.4 Name of the Principal Officer (to be updated as and when there is any change)

--	--

**2. ORGANISATION – STRUCTURE****2.1 Status of the Applicant:**

(e.g. Limited Company-Private/Public, LLP, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Name of the company	Status	Date of Incorporation DD-MM-YYYY	Place of Incorporation	Name of stock exchanges where listed

**2.2 Scope of business as described in the Memorandum of Association or equivalent document.**

(To be given along with copy of Memorandum and Articles of Association).

2.3 Details of shareholders holding 5% or more shares (directly or along with associate as on: \_

Name of shareholder	No of Shares held	% of total paid up capital of the company

2.4 Particulars of all Directors / Designated Partners (in case of LLP) –

Name	Designation/ Position	Qualification	% of Share in Applicant company	Directorship in other Companies	DIN No.	PAN/ Aadhaar No.

2.5 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/ Concern	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter / Director	Nature and Interest of Applicant company

Whether any one or more persons of the associate companies/ concern are interested in the Applicant's business?

2.6 Name and Address of the Principal bankers of the Applicant:

2.7 Name and address of the statutory auditors:

**3. BUSINESS INFORMATION:-**

- 3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income for which Certificate of registration is sought has to be attached with this application.
- 3.2 Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed

## 3.3 Particulars of KMP

Name	Designation/ Position	Qualification	Insurance related experience	Date of Appointment	Functional Areas	PAN/ Aadhaar No or other equivalent documents.

## 3.4 Particulars of Websites proposed / used for the IWA business: (Proof of Registration of Domain Name to be attached)

S. No.	Website (Domain name) Address	Primary /Secondary / Category Specific	Place of Hosting of Web server	Name & address of the vendor hosting the website

## 3.5 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the Applicant:

## 4. FINANCIAL INFORMATION

## Capital Structure

S No.	Capital	Current Year	Previous Year	Preceding Year to Previous year
		Mention Year	Mention Year	Mention Year
1	Authorized Capital (A)			
2	Issued Capital (B)			
3	Paid Up Capital (C)			
4	Free Reserves (Excluding Revaluation Reserves) (D)			
5	Total (C+D)			
6	Net-worth			

S No.	Particulars	Current Year	Previous Year	Preceding Year to Previous year
		Mention Year	Mention Year	Mention Year
		Rs in Lakhs	Rs in Lakhs	Rs in Lakhs
1	Fixed Assets			
2	Plant & Machinery			
3	Office Equipment			
4	Quoted Investments			
5	Unquoted Investments			
6	Details of Liquid Assets			
7	Others			

**Note:** Please enclose three years audited annual accounts. If minimum capital requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts for the period ending on a later date should also be



submitted.

## 5. OTHER INFORMATION

5.1 Details of all settled and pending disputes: (Attach separate sheet and give full information in the format shown below)

Nature of Dispute	Name of party	Pending/ settled

\*\* Attach sheet if required

5.2 Details of any economic offences by the Applicant or any of the Directors, Chief Executive or Managing Director or Principal Officer or Key Managerial Personnel in the last three years, if any

For and on behalf of Applicant

For and on behalf of Applicant

(Signature and Name of  
Authorised Representative)

(Signature and Name of  
Authorized Representative)

Place:

Date:

### Application for Permission for Insurance Telemarketing/Insurance Outsourcing work

1.1 Name of the Applicant: \_\_\_\_\_

1.2 Certificate of registration No.: \_\_\_\_\_

1.3 Validity Period: From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_

1.4 TRAI Registration No.: \_\_\_\_\_

1.5 Validity Period: From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_

1.6 List of Authorised Verifiers:

Name	Qualification	Sponsoring Entity	Certificate No.	Valid Till	PAN/ Aadhaar No.

Attach additional chart if required.

1.7 Any other information which the Applicant feel necessary for processing of application.

### DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS / DESIGNATED PARTNERS

I/We hereby apply for Certificate of registration to undertake Insurance Tele-Marketing / Insurance Outsourcing work relating to insurance.

I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our Certificate of registration.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the Certificate of registration period.

For and on behalf of Applicant

For and on behalf of Applicant

(Signature and Name of Authorized  
Representative)  
Designation

(Signature & Name of Authorized  
Representative)  
Designation

Place:  
Date:

**SCHEDULE - 2**  
[Refer Regulation 5 (2)]

**Documents to be attached with the Application Form**

1. Copy of the Certificate of registration issued by the Registrar of Companies.
2. Copies of Memorandum of Association and Articles of Association or LLP Agreement duly certified by Chartered Accountant.
3. Copy of PAN Card of the Company/LLP
4. Curriculum Vitae of Directors / Designated Partners of LLP with copies of Qualification Certificates.
5. Curriculum Vitae of Principal Officer and KMP with copies of Qualification Certificates.
6. Duly notarised Declarations executed by two directors or designated partners of LLP affirming that:
  - (a) The directors of the company or designated partners of LLP, the Principal Officer and KMP are major and not found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and not found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment of attempt to commit any such offence by a court of competent jurisdiction in the past five years. The Applicant/directors/ designated partners, the Principal Officer and KMP are not involved in any economic offences in the last three years.
  - (b) None of the directors/KMP/Principal Officer or designated partners/employees of the company are holding directorships/ employment in or represent any other insurance related entity.
7. Snap shots of contents of proposed website along with the proof of domain name registration.
8. Confirmation of place of hosting website such as registered office, operations office.
9. List of persons who have control over or responsibility for the website contents in relation to insurance web aggregation.
10. Certificate of Chartered Accountant for the Net Worth and Shareholding Pattern of the Company as on the date of submission of Application.
11. Copies of the Annual Report and Audited Accounts for the previous three financial years;
12. Details of infrastructure including IT infrastructure available;
13. Training and Examination Certificates of Principal Officer and Authorised Verifiers;
14. Details and declarations of Principal Officer/ Promoters/ Directors/ Partners/ Key Management Personnel, relating to Fit and Proper criteria as specified by the Authority.
15. A user I.D. and temporary password in a closed cover (with only view permission), to verify the Aggregation Website(s) / Portal / LMS by IFSCA or its representative.
16. Any other document or information sought by the Authority.

**Note:** All the copies of the documents to be attested by the Principal Officer.

## FORM – B

**APPLICATION SEEKING CERTIFICATE OF REGISTRATION BY AN EXISTING IWA OR INSURANCE BROKER FOR ESTABLISHING AN IWA IN THE FORM OF BRANCH**

S.No.	Particulars	Applicant's Response	Remarks
<b>Section A : Company Profile</b>			
1	Name of the applicant		
2	Registered office address		
3	Date of incorporation: [DD/MM/YYYY]		Certificate of incorporation/Deed of Covenant/Other valid proof
4	Registration No. (issued by the regulatory Authority in the country of the applicant's domicile, if any) and date of first registration [DD/MM/YYYY]		Copy of the registration certificate
5	Current lines of insurance intermediary a. Insurance Web Aggregator b. BrokerDirect/Composite/Reinsurance		
6	Amount of Authorised capital, Subscribed capital and Issued Capital & Face value of shares and their numbers/ Total contribution by partners/members and individual contribution by each partner/member		
7	Name, Address and contact details of the person responsible for the affairs of the proposed IWA and for further correspondence		Provide a certified copy of board resolution appointing the person responsible for affairs of IWA
8	Net Worth duly certificated by a chartered accountant or its equivalent		
9	<b>Board Resolution</b> Provide a copy of the resolution by the applicant's board in support of the commitment to set up an IWA.		Annexure -
10	<b>Regulatory approvals in India</b> a. Provide certificates of approval from the appropriate authority for opening of an office/conducting of business in the SEZ. b. Permanent Account number (if allotted by IT authorities)		Annexure -
11	<b>Certificate from CA / CS / CMA or any other person as approved by the Authority:</b>		Annexure -

	Provide a certificate from a practicing CA/CS/CMA in India or any other person as approved by the Authority, that all the requirements of the Act read with IFSCA(Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 and rules, circulars have been complied with by the applicant						
12	<b>Annual Reports</b> Annual reports for the past 3 years.		Annexure -				
13	Compliance with training and experience requirements						
14	Details of the office proposed to be opened:	(a) Name of the Office: (b) Office Address(representative address or company address if the IWA office address is not available): (c) Address for Communications (state the name of the Principal Officer, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details: (d) Principle Officer & Key Management Personnel and allocation of responsibilities.(Proposed): (e) Organizational structure. Reporting relationships of the IWA to the holding company (f) Planned infrastructure at the proposed office					
15	Details of payment of fee						
16	Details of any additional capital to be infused, if applicable						
17	<b>Particulars of Previous Application:</b> Has the applicant ever applied for license in International Financial Services Centre to carry out insurance business? If so, give particulars.						
18. Details of shareholders of insurance intermediary: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the intermediary, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the issued capital of the applicant and promoters are to be given in separate statements.							
Full Name [first, middle, surname]/Name of the Corporate	Date of Birth/Date of incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications*	Experience*	Present occupation*	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							
*Columns 4 to 6 may be left blank for corporate shareholders.							
<b>Section B: Regulatory Compliance in the home country</b>							
19	Name, Address and contact details of the Regulatory Authority in the country of domicile where the applicant is registered, if applicable						
20	<b>Certificate of Authorization</b> Provide a certificate of authorization granted by the Regulatory or Supervisory Authority of the country of incorporation to set up an IWA, if applicable.					Annexure -	
21	Professional Indemnity policy requirements in home country, if applicable						
22	Minimum capital requirements prescribed by home country regulator						
23	Capital maintained by the applicant for five years preceding the date of application						
<b>Section C: IWA Business Strategy</b>							
24	<b>Market Research and Analysis</b> The applicant may have undertaken some form of market analysis to ascertain the market potential. The applicant may furnish full description of the research, along with the conclusions reached					Annexure -	
25	<b>Types of services to be offered</b> The applicant may give detail of the category of IWA services that it will offer. Also, the business plan of the applicant for next 3 years.					Annexure -	
26	<b>Conclusion</b> In conclusion, please discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated						

***Certification***

I, the undersigned, solemnly declare that the facts and information given in this application form on behalf of the Applicant Company, are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place :

Date :

Signature of the Authorised Person (his/her designation with Seal)

**SCHEDULE - 3**  
**[Refer Regulation 7 (2)]**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**

**Registration number:**

In exercise of the powers conferred by section 12 and 13 of IFSCA Act, 2019 read with sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants a Certificate of registration to (entity name) to act as Insurance Web Aggregator.

- (1) This Certificate of registration shall be valid from (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy).
- (2) This Certificate of registration is subject to the provisions of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 and also subject to such additional conditions as may be imposed by the Authority.

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

By Order  
 For and on behalf of International Financial Services Centres Authority

-----  
**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**

**Registration number:****Approval to function as an Insurance Telemarketer/Insurance Outsourcing work**

In exercise of the powers conferred by section 12 and 13 of IFSCA Act, 2019 read with sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants a Certificate of registration to M/s \_\_\_\_\_ to undertake Insurance Telemarketing /Insurance Outsourcing work under these regulations.

- (1) This Certificate of registration shall be valid from (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy).
- (2) This Certificate of registration is subject to the provisions of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 and also subject to such additional conditions as may be imposed by the Authority.

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

By Order  
 For and on behalf of International Financial Services Centres Authority

**SCHEDULE - 4**  
**[Refer Regulation 9]**

**APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF IWA****Instructions for filling up the form:**

- 1) It is important that before this RENEWAL application form is filled in, the IFSCA (IWA) Regulations 2022 are studied carefully.
- 2) Applicants must submit a duly completed RENEWAL application form together with, supporting documents to the Authority.

**1. PARTICULARS OF THE APPLICANT**

1.1 Name of the Applicant: \_\_\_\_\_

1.2 Address - Principal Place of business / Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No	Fax No

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No	Fax No

1.4 Name of the Principal Officer (To be submitted in case of change, if any)

--	--

2. **ORGANISATION – STRUCTURE** (To be submitted if any change in any of the items under S. No. 2 of the application form, otherwise please mention “NO CHANGE”)**3. BUSINESS INFORMATION**

Particulars of Key Management Personnel (To be submitted in case of change, if any)

Name	Designation/ Position	Qualification	Insurance related experience	Date of Appointment	Functional Areas

**4. OTHER INFORMATION**

4.1 Details of all settled and pending disputes, if any: (Attach separate sheet and give full information in the format shown below)

Nature of Dispute	Name of party	Pending/ settled

\*\* Attach sheet if required

4.2 Details of any economic offences by the Applicant or any of the directors or designated partners, or key managerial Personnel in the last three years, if any.

4.3 Any other information considered relevant for processing of this application:

**5. RENEWAL OF PERMISSION FOR INSURANCE TELEMARKETING/INSURANCE OUTSOURCING WORK**

5.1 Do you want to continue insurance tele-marketing/ insurance outsourcing work: Yes/ No

5.2 Is the TRAI Registration valid: Yes/ No

5.3 Updated List of Authorised Verifiers:

Name	Qualification	Sponsoring Entity	Certificate No.	Valid Till	PAN/ Aadhaar No.

Attach additional chart if required

5.4 Any other information considered relevant for processing of this application:

For and on behalf of Applicant

For and on behalf of Applicant

(Signature and Name of Authorised Representative)  
Designation

(Signature & Name of Authorised Representative)  
Designation

Place:

Date:

**SCHEDULE - 5**  
[Refer Regulation 9]

**Documents to be attached with the Renewal Application:**

1. Self-Certified undertaking in the format given in Annexure “1”
2. Confirmation of place of hosting website such as registered office, operations office, only if there is a change;
3. List of persons who have control over or responsibility for the website contents in relation to insurance web aggregation, only if there is a change;
4. Renewal Training Certificates of Principal Officer and Authorised Verifiers.
5. Any other document / information sought by the Authority.

**Note:** All the copies of the documents to be attested by the Principal Officer.

**Annexure “1”**

**Undertaking Format**

Ref. No.

Date

**The Executive Director,  
Department of Insurance,  
International Financial Services Centres Authority  
GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.**

Sir,

We hereby submit the following undertaking and confirm that:

There is no intervention by any other Regulatory Authority on the promoters/ Management/ Applicant Company as on the date (If there is any intervention, details of the intervention to be furnished)

1. The Principal Officer has not violated the code of conduct as specified in IFSCA (IWA) Regulations, 2022;
2. The Applicant Company will comply with regulations confining to Main Objects of the Memorandum of Association filed with the Authority;



3. The Principal Officer is appointed exclusively to carry out the functions of the IWA under the regulations and is neither holding any Directorship/Employment/Assignment in nor represents, either on full time or on part time basis, any other Insurance related or any other entity. If so, it is with the previous approval of the Authority. (Strike out which is not applicable);
4. We have not given any rebates of the whole or part of the commission payable or premium shown either directly or indirectly in compliance with sec. 41 of Insurance Act, 1938;
5. We confirm that the minimum capital requirement is not diluted by its use in buying shares and securities as also keeping Inter Corporate Deposits and giving loans etc.;
6. We confirm that the duties and functions as specified in regulation 27 of IFSCA (IWA) Regulations, 2022, have been complied with during the previous registration period.
7. We confirm that the above statements are true to the best of our knowledge and belief.
8. We further undertake to comply with all the applicable regulations/rules/notices/circulars as prescribed by the Authority from time to time.

Principal Officer (Director/Designated partners, other than the PO)

Signature	Signature
Name	Name
Date	Date

**Note:** Strike out the declaration not applicable and attach relevant information separately.

**SCHEDULE - 6**  
**[Refer Regulation 9 (5)]**  
**RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION**

**Registration number:**

The Certificate of registration of (name of entity) to act as Insurance Web Aggregator is hereby renewed under Regulation 9 of the IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

- (2) Issued on \_\_\_\_ day of \_\_\_\_ of Two thousand\_\_\_\_\_.
- (3) This certificate of renewal of registration shall be valid from (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy).
- (4) This certificate of renewal of registration is subject to the provisions of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 and also subject to such additional conditions as may be imposed by the Authority.

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

By Order  
 For and on behalf of International Financial Services Centres Authority



IWA with an annual certificate containing the name and address, including the Certificate of registration number of the IWA, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority.

6. The applicant who has established an IWA in a branch form shall comply with the professional indemnity policy requirements at its head office and shall have endorsement on such policy to the effect that liabilities if any, arising out of operations at the IFSC branch office are also covered in such policy.
7. Any other condition as may be advised by the Authority.

#### **SCHEDULE - 8**

**[Refer Regulation 24]**

#### **Disclosures to the Authority**

1. An IWA shall disclose to the Authority, following information within thirty (30) days of its occurrence namely—
  - (a) any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the Certificate of registration granted to it;
  - (b) proceedings initiated against them by other regulatory or government bodies within a reasonable time but not later than thirty (30) days from the initiation of such proceedings. Any action or direction issued by such other bodies shall also be disclosed to the Authority within the time limits prescribed above.
2. An IWA shall furnish to the Authority the following information within fifteen (15) days of the occurrence
  - (a) In respect of a claim under the professional indemnity policy;
  - (b) Acquiring of any property in India;
3. In case of any change in the information provided for consideration of their application, subsequent to filing of application or during the processing of application, such change shall be disclosed to the Authority, voluntarily by the Applicant, for consideration of the Authority.
4. The Authority may from time to time require the IWA to furnish information/ data/ documents in the manner as may be specified in the matter.
5. Any other disclosure, information as may be desired by the Authority.

#### **SCHEDULE - 9**

**[Refer Regulation 25]**

#### **Roles and Responsibilities of Authorized Verifier**

1. The Authorized Verifier shall:
  - (a) be on the rolls of either the IWA or the Tele-marketer and resident in India;
  - (b) solicit insurance business only through tele-marketing/distance marketing mode.
  - (c) receive inbound telephone calls from prospects/ policyholders seeking assistance or clarifications on the insurance products they want to buy.
  - (d) sell an insurance product based on the need analysis of the prospect.
  - (e) explain the main features of the similar insurance product of other companies to help customer make a choice.
  - (f) not make any unsolicited outbound telephone calls for solicitation of insurance products
  - (g) not make false promise or lure the prospects by exaggerating the benefits under the insurance product;
  - (h) undergo the prescribed training and pass the examination as may be specified by the Authority.

2. An IWA shall tag every insurance policy sold by the Authorized Verifier to his identity for tracking sales and complaints if any which shall be given access to the Authority on remote basis;
3. An Authorized Verifier may shift from one IWA / Tele-marketer to another after obtaining a No Objection Certificate from his previous employer or thirty (30) days of requesting for the same whichever is earlier.
4. The Authorized Verifier shall comply with any other requirement as may be advised by the Authority.

**SCHEDULE - 10**

**[Refer Regulation 24]**

**Conduct of business of IWA**

1. The IWA shall:-
  - (a) Display Information in their designated website pertaining to the products of Insurers who have signed agreement with the IWAs;
  - (b) Ensure to carryout the activities for the purpose of Lead Generation for insurers;
  - (c) Ensure that the information systems, (both hardware and software) including the aggregation website(s) / portals, Lead Management System and the Data Centers hosting the website(s) / Portal(s) / Lead Management System are in compliance with the generally accepted information security standards and procedures in force in India from time to time;
  - (d) Ensure that the leads and other data is transmitted to the insurers and others using secured layer data encryption technologies like 128 bit encryption;
  - (e) Ensure to use only approved payment gateways for collection and transfer of premium to insurers when the IWA is authorized by the insurer to collect the premium on behalf of the insurer;
  - (f) Ensure to get the information systems (both hardware and software) including the aggregation website(s) / portals, Lead Management System and the Data Centers hosting the website(s) / portal(s) / Lead Management System hosted in India and audited by CERT-In empanelled Information Security Auditing organizations once in a financial year and submit a copy of the Audit Certificate / Report to IFSCA and the insurers with whom the IWA has entered into an agreement, within fifteen (15) days from the date of receipt of the same;
  - (g) Ensure to furnish a certificate from its statutory auditor annually along-with the annual report that it is in compliance with all the provisions and the framework of the IFSCA (IWA) Regulations, 2022 during the last financial year.
  - (h) Ensure that the Principal Officer of IWA, at the end of each financial year shall submit to the Authority, a certificate confirming that during the said financial year the IWA has complied with all the provisions of these regulations.
  - (i) Tag every insurance policy sold by the Authorized Verifier to his identity for tracking sales and complaints if any which shall be given access to the Authority on remote basis;
2. **The IWAs shall not:-**
  - (a) Display any information pertaining to products or services of financial institutions or FMCG;
  - (b) Operate multiple websites or tie up with other approved / unapproved /un-registered entities / websites for lead generation / comparison of product etc. subject to the following exceptions:

Using multiple domain names or same domain names with suffixes such as .com, .in or .co.in for the primary website of the IWA used for comparison of insurance products is allowed

*Provided-*

- (i) The domain names of primary or secondary or product category specific websites or mobile sites are owned and registered in the name of the IWA;
- (ii) The IWA shall inform the Authority in writing about the date of Registration and also date of launching of domain names of such websites or mobile sites in the application for grant of registration and thereafter within fifteen (15) days from the date of Domain Name Registration and Date of launching respectively in case of any change in the name(s) of the existing websites or new websites.

### 3. Nomenclature of IWAs:-

- (a) All IWAs shall have the word 'IWA' in the name of the Company/LLP to reflect its line of activity and to enable the public to differentiate registered IWA from other insurance related entities. The applications which seek the registration to act as IWA shall not be considered in the absence of the compliance with nomenclature requirement;

Every registered IWA shall display its registered name, address of registration and corporate office, registration number and validity period in all its correspondences with all stakeholders to the Authority.

- (b) IWAs are not permitted to use any other name in their correspondence/ literature/ letter heads without the prior approval of the Authority.

4. Any other requirement as may be advised by the Authority.

### SCHEDULE - 11

[Refer Regulation 19]

#### Display of product comparisons on the Web Site

1. IWAs shall disclose prominently on the home page, a notice that:
  - (a) the Prospect's / visitor's particulars could be shared with insurers.
  - (b) "the information displayed on its website is of the insurers with whom it has an agreement"
2. Product information displayed by IWAs shall be authentic and be based solely on information received from insurers;
3. IWAs shall not display ratings, rankings, endorsements or bestsellers of insurance products on their website. The content of the websites of the IWAs shall be unbiased and factual in nature; they shall desist from commenting on insurers or their products in their editorials or at any other location in their websites;
4. The comparison chart displayed on the IWA designated web-site shall take the customer through the web-pages which will be acknowledged by him in the following order:
  - (a) coverages,
  - (b) exclusions,
  - (c) benefits,
  - (d) terms,
  - (e) conditions and
  - (f) price
5. Templates may be mutually worked out between the IWAs and Insurers whose products are compared;
6. Product comparisons that are displayed shall be up to date and reflect a true picture of the products;

7. Product price comparisons shall be inclusive of all taxes and fees on gross basis to enable the prospect to make a like to like comparison;
8. IWAs shall display product information purely on the basis of the information furnished to them by insurers.
9. Any other information, data or documents as may be advised by the Authority.

**SCHEDULE - 12**  
**[Refer Regulation 20]**

**Manner and sharing of leads**

1. IWA shall use a Lead Management Systems (LMS) capable of recording the full details of the visitors to the designated website of the IWA and the Leads generated including the preference of the visitor.
2. LMS data shall be shared with the Insurance companies that have signed agreements with the IWAs.
3. LMS should ensure Transparency and Accountability.
4. IWAs shall disclose prominently on the home page that the Prospect's / visitor's particulars could be shared with insurers.
5. IWA shall provide an option to select up to three insurers by the visitor, to whom the lead shall be transmitted simultaneously.
6. IWA shall not transmit the lead containing data of a Prospect to Insurer(s) other than the one(s) preferred by the Prospect.  
*Provided* that, if the Prospect evinces interest in buying insurance but does not prefer any Insurer, IWA shall not transmit the lead to more than three Insurers in the same class of insurance business based on the need analysis of the prospect.
7. IWA shall transmit the lead containing data of Prospects to Insurer
  - (a) As mutually agreed between parties..
  - (b) Reasonably securing the information of Prospects from unauthorized access and misuse;
  - (c) With a reasonable level of suitability, reliability and correctness, and;
  - (d) In compliance with generally accepted I.T. security procedures
8. IWAs shall deploy an Audit Firm to audit the process of LMS systems at least once in twelve (12) months.
9. The Audit Report of the Audit Firm should be placed to the Audit committee of the Board who shall be responsible for taking cognizance of the same in carrying out corrective actions.
10. Insurers, on conversion of lead into a policy, must post back the policy details on the LMS of the IWA from whom the lead was received.
11. Any other manner as may be advised by the Authority.

**SCHEDULE - 13**  
**[Refer Regulation 22]**

**Sale of Insurance products by tele-marketing or other distance marketing modes:**

1. **Scope and applicability** – This covers tele-marketing and distance marketing activities, except online sale-
  - (a) Tele-marketing and Distance marketing includes every activity/stage of solicitation and sale of insurance products through the following modes:
    - (i) Voice mode, which includes telephone-calling;
    - (ii) Short Messaging service (SMS);
    - (iii) Electronic mode which includes e-mail and interactive television (DTH);
    - (iv) Solicitation through any means as approved by the Authority from time to time under Distance Marketing.
  - (b) These instructions are specifically applicable in case of the following activities in addition to other similar activities:

- (i) Use of distance mode for ascertaining the Prospect's intent to purchase insurance.
- (ii) Solicitation as well as sale over the distance mode; and
- (iii) Requests by Prospects seeking information or sale of insurance products.

**2. Telemarketing and Distance Marketing:-** IWA desirous to carry on 'Telemarketing' and 'Distance Marketing', for the purpose of solicitation of insurance business shall:-

- (a) Register as a 'Telemarketer';
- (b) Engage 'Authorized Verifier' as defined in regulation 3(d) of these regulations for carrying out the Telemarketing and Distance Marketing related work;
- (c) While considering the application, the Authority may, if it so desires, verify the information furnished by the Applicant including the supporting documents and also inspect the Applicant's offices and infrastructure;
- (d) The Authority may, after considering the application with reference to the matters specified in these regulations, grant Certificate of registration to the IWA to function as Telemarketer, which shall be valid for a period of three years from the date of grant of such Certificate of registration or the expiry of the registration whichever is earlier.

**3. Compliance-**

The IWA, in addition to these instructions shall comply with all the applicable provisions of the Insurance Act, 1938, IT Act, 2000, TRAI Act, 1997, The Telecom Unsolicited Commercial Communications (Amendment) Regulations, 2008 and the rules, regulations, circulars, guidelines, or any other advises of the Authority, as applicable, issued from time to time.

**4. Persons engaged by IWA for telemarketing:-**

- (a) For the purpose of solicitation of insurance business through 'Telemarketing' and 'Distance Marketing', IWAs shall engage only an Authorized Verifier as defined in Regulation 3(d) of these regulations;
- (b) IWAs shall be responsible for all acts of commission and omission of the Authorized Verifier deployed on their behalf;
- (c) Authorized Verifiers shall be responsible for the sale of insurance products in distance mode.

**5. Agreements between Insurer and IWA:** The agreement between the Insurer and IWA, shall inter alia include the following clauses:-

- (a) The IWA shall maintain/preserve recordings of all the tele-calls for a period of 5 years;
- (b) The Telemarketer shall maintain records of all the Authorized Verifier employed by them along with their training and assessment particulars;
- (c) The tele-marketer shall keep a copy of the PAN/ Aadhaar card of the Authorized Verifier as his identity proof;
- (d) The records under (a) & (b) above shall be open to inspection by the Authority.

**6. Distance Marketing by IWAs:-**

- (a) IWAs shall not exclusively promote the products of any particular insurer, and shall suggest, using a standard pre solicitation script the best available product in the market that fits the needs of the Prospect;
- (b) The comparison charts that are displayed shall be up to date and reflect a true picture;

- (c) Insurers shall not pay the IWAs any remuneration other than the payments as specified in these regulations. Insurers shall make no payments by any name to IWAs or their related parties towards infrastructure or any account other than payments (except for undertaking outsourcing activities under SCHEDULE - 14 on the policies solicited or procured over Web Aggregation and distance mode;
- (d) Insurers shall specifically identify the proposals procured by IWAs over distance mode and obtain all relevant records pertaining to such policies. Insurers shall produce such records before the Authority in case of dispute involving alleged violation of breach of conduct by the IWA.

#### **7. Role of Authorized Verifier:-**

- (a) Telemarketers shall employ Authorized Verifiers, who alone are permitted for soliciting and concluding the sale of insurance products;
- (b) The Authorized Verifiers shall be assigned to the IWA as per the certificate issued by the Authority for the purpose of sale of insurance products;
- (c) Any change in such assignment shall be disclosed to the Authority and a fresh certificate to that effect shall be obtained from the Authority without which the Authorized Verifier shall not be permitted for soliciting and concluding the sale of insurance products.

#### **8. Training of Authorized Verifier:-**

- (a) Every authorized Verifier shall be trained at an institute as specified by the Authority;
- (b) The training shall be as per syllabus specified by the IFSCA in matters related to regulations, disclosures, ethical conduct of business and specific instructions to be complied with while making the calls;
- (c) The Authorized Verifier shall clear the post-training test to be conducted by the institution authorized by the Authority;
- (d) IWAs shall maintain a register of all persons engaged by them for the purpose of solicitation of insurance business. The register shall, apart from the name and address of the Authorized Verifier, also contain valid copies of his proof of identification based on either PAN card or Aadhaar card and other relevant credentials. Insurers shall allot a distinctive code number to every Authorized Verifier and record the same in a register maintained for the purpose.

#### **9. Process of Solicitation:-**

- (a) Solicitation of insurance through tele-calling shall be based only on the leads generated through the website of the IWA;
- (b) The prospect on visiting the designated web-site of the IWA may:
  - (i) select the insurance product and the company that he wants to buy from and after making an express choice proceeds to make the payment for premium, in which case an insurance policy shall be issued by the insurance company subject to acceptance of the risk;
  - (ii) select the insurance product but does not give preference of the insurance company. In such a case the IWA may pass the lead to a maximum of three insurers who may close the sale by either following up with the prospect directly or through the tele-marketer appointed by them; or
  - (iii) seek assistance from the Web Aggregator in making a choice of the product and the company, in which case the IWA may help/ advise the prospect based on the need analysis the insurance product and the insurance company.
- (c) The time taken from the generation of the lead to sale of the insurance product shall be completed in a



reasonable period of time not exceeding three (3) months beyond which the IWA shall not get credit for sale of the product and no remuneration shall be paid to the IWA;

- (d) An IWA shall not approach the prospect through outbound tele-calling without his express consent. However, if there are inbound tele-calls or tele-calls seeking assistance about the product by the prospect to the IWA, then the IWA shall offer all possible assistance to the prospect.

**10. Standardized Script:** The leads generated from the web-site shall be in specific compliance with the following norms:-

- (a) Insurers, in consultation with IWAs, shall prepare standardized scripts for presentation of benefits, features and disclosures under each of the products proposed to be sold over the distance modes. Solicitation under distance mode shall be in line with the standardized script;
- (b) The scripts shall be incorporating all the Key Features of the product and shall be approved by the compliance officers of the respective insurers. The scripts shall be filed with the Authority under Product Approval norms within fifteen (15) days by the insurer;
- (c) Every script shall mandatorily mention that the prospect is advised to refer to the detailed prospectus available at the website of the insurer and that the prospectus shall be sent to his email id wherever available.
- (d) Introduction:-
- (i) The communication shall clearly highlight the name of the insurer.
- (ii) The fact that the purpose of approach is lead generation/solicitation of insurance shall be clearly highlighted.
- (e) Consent of the Prospect:-
- (i) The Authorized Verifier shall ascertain if the Prospect is interested in continuing with the subject, and the process of solicitation shall proceed further only on receiving the consent in explicit terms;
- (ii) The Prospect shall be given an option to continue with the subject or exit the page at every stage in case of electronic modes. The hours during which calls are made shall be in accordance with orders issued by TRAI/ DoT from time to time;
- (iii) In case of telephonic solicitation the name of the authorized Verifier shall be disclosed and the language options available must be indicated. The subsequent communication shall continue only in the language chosen by the Prospect;
- (iv) The Authorized Verifier shall inform Prospects that the call is being recorded and that the Prospect is entitled to a voice copy, if he so desires, at any time during the term of the policy or until a satisfactory settlement of claim, whichever is later;
- (v) While commencing the communication, the Authorized Verifier shall inform the prospect the following in the same order a) Name of the Insurance Web aggregator which is calling the prospect; b) Name of the Authorized Verifier; c) Name of the product being explained; d) Name of the insurer to which the product belongs.
- (vi) No inconvenience, nuisance or harm shall be caused to the Prospects in the course of solicitation or thereafter. Full disclosures shall be made to the Prospects under all modes of distance marketing and the requirements of confidentiality, privacy and non-disclosure shall be complied with.
- (f) **Prospect's Information:**
- (i) All relevant information pertaining to the Prospect as well as the person/asset to be insured shall be obtained, and solicitation shall be strictly on the basis of analysis of the Prospect's needs;

- (ii) The insurance web aggregator shall send copy of the voice transcript to the prospect at his email id so declared by him.
- (g) **Product benefits & Features:** The standardized script shall cover the following items in the course of product presentation:
  - (i) The specific responses of the Prospect in the form of agree/disagree, yes/no, accept/reject, understand / don't understand, as applicable, against each of the items below, under all modes of distance solicitation.
  - (ii) Name of the product suggested and its nature and parameters. Name of the Insurer to which the product belongs.
  - (iii) Insurance cover available under the product for a specified amount of annual premium, or, conversely, premium chargeable and applicable taxes towards a specified amount of insurance cover.
  - (iv) The scope of cover, perils covered and not covered, exclusions, deductibles or franchise, copayments, loading/discounts on premiums, add-on covers, conditions, other terms and benefits, mid-term inclusions, short period scales, basis of sum insured, warranties, clauses and endorsements, compliance with Section 64VB(1) of the Insurance Act, 1938 – payment of premium before commencement of risk, etc, as applicable.
  - (v) The contents of the “key features document” (KFD) as and when specified by the Authority.
  - (vi) The right to cancel the policy within thirty (30) days of receipt of the policy in case of disagreement with the terms of the policy under all life insurance contracts and covers tied to credit/debit/other cards, and for all personal accident and health insurance policy contracts with a term of 3 years or more offered by insurers over distance mode, provided no claim has already been made on the policy.
  - (vii) Disclosure of rates of commission available on the product solicited upon the request of the Prospect.
- (h) **Premium Ceilings in case of sale of Life Insurance:**
  - (i) IWA shall not solicit non-single premium type policies for annualized premiums exceeding USD 2000 over telemarketing mode (voice as well as SMS);
  - (ii) Single premium Policies shall not be solicited for a premium of more than USD 2000 over telemarketing mode.

**11. Post-Solicitation Process:** Once the Prospect agrees to purchase a policy, the proposal form and premium acceptance shall comply with the following requirements:-

- (a) The premium towards the policy may be debited online or interactive voice response medium or through a manual collection subject to compliance with the procedures and controls prescribed by the RBI;
- (b) The norms applicable to insurers as regards AML and PAN need to be complied with in the process of selling a policy over distance marketing mode;
- (c) In all instances where a policy is issued without obtaining a proposal in physical form, insurers shall forward a verbal transcript of the voice/electronic record of the queries raised and answers thereto on the basis of which the policy has been underwritten, along with the policy bond;
- (d) For policies solicited/sold over distance mode, insurers shall issue policies in exactly the same format and medium as in case of sale through physical interface;
- (e) The address and toll-free number of the office to be contacted by the policyholder in case of a servicing

need or grievance shall be informed to the client;

- (f) Before conclusion of sale the authorized Verifier shall divulge his name and distinctive code number to the prospect and this shall form part of the recorded conversation for the sake of future verification;
- (g) The records pertaining to every call made and SMS sent by an IWA that materializes into a policy shall be transferred to the insurer's location within thirty (30) days of conclusion of sale. In case of telephone calls the records transferred shall be the recordings of the entire conversation.

**12. No Unfair Denial of Insurance Cover:** When a Prospect approaches an IWA over distance mode proposing for insurance cover, the latter are duty-bound to consider the case on merits and in accordance with regulatory directions and their own norms. In no case shall they resort to an unfair denial of cover to a Prospect who seeks insurance.

**13. Preservation of Records:-**

The insurer and IWA shall preserve, in an unalterable and easily retrievable form, a voice/ electronic/ physical record, as applicable, of the entire process beginning with lead generation/ solicitation and concluding in sale of insurance, for a period of six (6) months beyond the term of the policy or until satisfactory settlement of claim or for a period of ten (10) years, whichever is later. Voice and electronic records shall be digitized and encrypted for storage to ensure reliability and security of the data.

**14. Verification Process:-**

- (a) IWAs shall monitor the calls live by arranging for listening to at least 1% of the calls as they happen;
- (b) IWAs shall verify at least 3% of calls leading to sales for compliance, by engaging a team of dedicated employees to listen to the call recordings. The observations made in the course of verification shall be preserved in a retrievable form for a period of not less than three years;
- (c) Insurers shall make verification calls, to monitor the quality of sales, to a minimum of 3% of the policyholders who purchase insurance over distance marketing mode, every month. The purpose of verification calls is to ascertain whether the Prospect has understood the benefits, features and disclosures of the product purchased correctly;
- (d) Verification calls shall also bear a standardized script and the records of calls shall be preserved for a period (a) not less than fifteen (15) months from the date of policy or until satisfactory claim settlement, whichever is later, in case of general insurance and health insurance policies (b) not less than 3 years in case of life insurance policies;
- (e) The policies under (b) and (c) above shall be selected according to a random pattern, making sure to cover each product category and mode of sale.

**15. Certification of Compliance:-**

The Principal Officer of each IWA shall submit to the Authority, at the end of each financial year, a certificate confirming that the IWA has complied with all the provisions of all the above instructions during the financial year.

**16. Disputes:-**

For the purpose of these Regulations the contract of insurance shall be deemed to include the contents of "Key Feature Document" or "KFD" and the records of calls to the Prospect pertaining to the product. In case of

disputes involving specific wordings of the policy, the client shall have the right to give primacy to the wordings of the KFD and the calls over the specific wordings of the policy.

#### **SCHEDULE - 14**

**[Refer Regulations 3(1)(h) and 23]**

### **1. Insurance Outsourcing Services that can be undertaken by IWAs**

- (a) Insurance Outsourcing of the activities mentioned herein shall be at the discretion of the Insurers. However, execution of services shall remain to be Core Activity to be carried out by the Insurers;
- (b) Insurance Outsourcing relationships between Insurers and IWAs shall be governed by written contracts between the Insurer and the IWA that clearly describe all material aspects of the insurance outsourcing arrangement, including charges for services, the rights, responsibilities, and expectations of all parties.

### **2. Activities that can be Outsourced to the IWA by Insurer:**

An IWA can undertake insurance outsourcing activities on behalf of insurers through the tele- marketing and distance marketing modes.

#### **SCHEDULE - 15**

**[Refer Regulation 4 (5)]**

#### **Obligations of IWA**

#### **IWA shall:-**

- (1) display Certificate of registration obtained from the Authority and details of validity of Certificate of registration on its web site;
- (2) prominently display the names of insurers with whom it has an agreement to refer leads in the Home page of the website;
- (3) display the list of products that are available for information on its designated website;
- (4) display specific information that the details of the prospects who visit their website shall be shared with the insurers for the purposes of soliciting insurance policies;
- (5) not promote the services or the products of any third parties on their designated website, unless permitted by the Authority;
- (6) not allow any third party to divert their clientele to the website of the IWA, unless permitted by the Authority;
- (7) register as a Telemarketer, if desirous of carrying out Telemarketing;
- (8) maintain an effective lead management system and ensure that leads are recorded and monitored through the LMS System;
- (9) maintain the records and the reports of its activities under the agreement with Insurer, in the manner specified in the agreement entered into between the Insurer and the IWA;
- (10) along with its employees (whatever their designation may be) comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938 the IFSCA Act, 2019, the rules and regulations framed thereunder and other directions issued by the Authority from time to time;

- (11) not accept any payment from Insurer to itself or through its employees or promoters other than the remuneration specified in Regulation 26 of these Regulations.
- (12) take the prior approval of the Authority for the following:-
- (a) Change of Principal Officer;
  - (b) Change in Director/s or Designated Partner/s as the case may be;
  - (c) Change in name of the company;
  - (d) Change of address of registered office / Corporate / Head Office;
  - (e) Engaging the services of service providers or third party vendors for the core activities of the IWA such as but not limited to:
    - (i) Lead Management System
    - (ii) Webhosting
    - (iii) Other core activities
  - (f) Change of location of the Servers hosting the website(s) of IWA
- (13) Any other obligations as may be advised by the Authority.

**SCHEDULE - 16**  
**[Refer Regulation 4 (5)]**

**Code of Conduct for IWA:-**

1. **Conduct in matters relating to clients relationship:** Every IWA shall:-
  - (a) conduct its dealings with Prospects / Policyholders with utmost good faith and integrity at all times;
  - (b) act with care and diligence;
  - (c) treat all information supplied by the prospects as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to whom the business is being offered;
  - (d) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
  - (e) understand the type of prospect it is dealing with and the extent of the prospect's awareness of risk and insurance;
2. **Conduct in relation to complaints handling:** Every IWA shall: —
  - (a) have in place a system for recording and monitoring complaints;
  - (b) ensure that the websites contain details of complaints handling procedures and provides a facility to the complainant to log complaints online;
  - (c) ensure that communication of clients in any form, written / phone / fax / email / Messaging etc are acknowledged promptly and in no case extends beyond five (5) working days from the date of receipt of such complaint;
  - (d) ensure that the grievance is resolved to the satisfaction of the client;
  - (e) ensure that communication is sent to the complainant on the resolution of the grievance, and the complainant is informed of the further redressal procedure available to him;
  - (f) ensure that complaints are attended to at Key Management Person level.
3. **Conduct in matters relating to advertising:** Every IWA shall ensure that the designated website contains no advertisements or any information that is prohibited under regulation 27 of these regulations;
4. **Conduct in matters relating receipt of remuneration:** Every IWA shall, if requested by a prospect, disclose the amount of remuneration or other remuneration it receives as a result of effecting insurance for that client.
5. **Conduct in relation to matters relating to training:** Every IWA shall:-
  - (a) ensure that its staff is aware of and adhere to the standards expected of them by this code;
  - (b) ensure that staff is competent, suitable and have been given adequate training;
  - (c) ensure that there is a system in place to monitor the quality of advice given by its staff;

- (d) ensure that members of staff are aware of legal requirements including the law of agency affecting their activities; and only handle classes of business in which they are competent;
  - (e) draw the attention of the client to Section 41 of the Insurance Act, 1938, which prohibits rebating and sharing of commission / remuneration.
6. Every IWA shall display in every office where it is carrying on business and to which the public have access, a notice to the effect that a copy of the code of conduct is available on request and that if a member of the public wishes to make a complaint or requires the assistance of the Authority in resolving a dispute, he may write to the Authority.
7. Every IWA shall furnish the returns in such format to the Authority within such time as may be desired or specified by the Authority.